खंड २

बिहार विधान सभा

सरकारी रिपोर्टें

(भाग २—प्रश्नोत्तर अंश रहित कार्यवाही)

बुधवार, तिथि ६ नवम्बर १९५७

Vol. II

No.

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report

(Part II—Proceedings other than Questions and Answers)

Wednesday, the 6th November 1957

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार
पटना, द्वारा मुद्रित
१९५८

[मूल्य—३७ नये पैसे]

[*Price—37 Naye Paise*]

बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में वृहस्पतिवार, तिथि २१ नवम्बर १९५७ को ११ बजे पूर्वाह्न में अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

(प्रश्नोत्तर भाग १ में देखें)।

श्री कामाख्या नारायण सिंह को सभा से अनुपस्थित रहने की अनुमति।

LEAVE OF ABSENCE GRANTED TO SHRI KAMAKSHYA NARAIN SINGH FROM THE HOUSE.

अध्यक्ष—मुझे आपको यह सूचना देनी है कि गिरिडीह निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य श्री कामाख्या नारायण सिंह अपनी स्त्री की इलाज के लिये स्विटजरलैंड गए हुए हैं। इसलिये वे सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहेंगे। उन्होंने निवेदन किया है कि यह सभा ११ अक्तूबर १९५७ से तीन महीने के लिये उन्हें अनुपस्थित रहने को अनुमति प्रदान करे।

माननीय सदस्य का आवेदन-पत्र सदस्यों के बीच परिचारित हो चुका है। वह इस प्रकार है जिसे मैं पढ़ देता हूं।

Lakshmi Nivas Palace, Padma.
10th October, 1957.

To

The Secretary,
Vidhan Sabha, Patna.

Dear Sir,

This is to inform you that I am leaving India on 11th October, 1957 for a period of three months for Switzerland along with my wife for her treatment.

I have, therefore, to request you to kindly allow me leave of absence from attending the sittings of the Vidhan Sabha to be held during the three months commencing from 11th October 1957.

Thanking you.

I remain,
Yours faithfully,
Sd. KAMAKSHYA NARAIN SINGH,
Raja Bahadur, Ramgarh.
19th October, 1957.

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

बिहार विधान-सभा नियमावली के नियम ६२(१) के अनुसार विधान-सभा की बैठक से उक्त अवधि के लिये श्री कामाख्या नारायण सिंह को अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष—अनुमति दी गयी।

बिहार सरकार के सन् १९४९-५० के विनियोग लेखा और वित्त लेखा पर सार्वजनिक लेखा समिति के दिए हुए प्रतिवेदन का उपस्थापन।

PRESENTATION OF THE REPORT OF THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE ON THE APPROPRIATION AND FINANCE ACCOUNTS, 1949-50.

श्री अम्बिका शरण सिंह—महोदय, मैं बिहार सरकार के सन् १९४९-५० के विनियोग लेखा और वित्त लेखा पर सार्वजनिक लेखा समिति का दिया हुआ प्रतिवेदन मेज पर रखता हूं।

बिहार लोक-सेवा आयोग १९५५ के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

PRESENTATION OF THE REPORT OF THE B. P. S. C. FOR THE YEAR 1955.

श्री दीप नारायण सिंह—महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३२३ के खंड (२) के अन्तर्गत १ जनवरी १९५५ से ३१ दिसम्बर १९५५ तक बिहार लोक-सेवा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सम्बन्धित ज्ञापन के साथ सभा के समक्ष रखता हूं।

दामोदर वैली कारपोरेशन का १९५७-५८ का आय-व्ययक का उपस्थापन।

PRESENTATION OF BUDGET OF D. V. C. FOR THE YEAR 1957-58.

श्री दीप नारायण सिंह—महोदय, दामोदर वैली कारपोरेशन का १९५७-५८ के आय-व्ययक को सभा के समक्ष रखता हूं।

विधान कार्य : सरकारी विधेयक :

LEGISLATIVE BUSINESS : OFFICIAL BILL

बिहार ऐप्रोप्रियेशन (नं० ३) बिल, १९५७ :

THE BIHAR APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 1957 (BILL NO. 13 OF 1957)

श्री अम्बिका शरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार ऐप्रोप्रियेशन (नं० ३) बिल, १९५७ को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष—बिहार ऐप्रोप्रियेशन (नं० ३) बिल, १९५७, पुरःस्थापित हुआ।

श्री अम्बिका शरण सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उक्त बिल पर विचार हो।

श्री रामानन्द तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बिल का विरोध करना है।

अध्यक्ष—अभी सभा के सामने विचार का प्रस्ताव है। यदि आपको विरोध करना है तो मैं समझता हूं कि बिल की स्वीकृति के समय विरोध करें तो अच्छा होगा, अभी नहीं।

श्री रामानन्द तिवारी—मैं स्वीकृति के समय ही विरोध करूंगा।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

बिहार ऐंप्रोप्रियेशन (नं० ३) बिल, १९५७, पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

खंड २ और ३ इस विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग बनें।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

शीडिउल इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शीडिउल इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

खंड १ इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना इस विधेयक के अंग बनी।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

नाम इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नाम इस विधेयक का अंग बना।

श्री अम्बिका शरण सिंह—मैं, प्रस्ताव करता हूं कि:

बिहार ऐंप्रोप्रियेशन (नं० ३) बिल, १९५७ स्वीकृत हो।

*श्री रामानन्द तिवारी—अध्यक्ष महोदय, यों तो आप जानते हैं कि इस राज्य की

आर्थिक दशा क्या है? सरकार हमलोगों से टैक्स लेती है और इसलिए लेती है कि उस पैसे को उचित रूप से खर्च करेगी। परन्तु मेरी समझ में बात नहीं आती कि गरीबों से पैसे लेकर इस तरह मनमाने ढंग से सरकार क्यों खर्च कर रही है। अध्यक्ष महोदय, समझ में बात नहीं आती कि आखिर इस राज्य में कौन-सी स्थिति आज ऐसी हो गई जिसके कारण १२ उप-मंत्रियों की नियुक्ति की गयी। उन्हें आपने आखिर कौन-कौन से काम दिये इसका भी पता नहीं चलता। आप देखें कि इन उप-मंत्रियों पर आज कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, आप उन्हें सजा-सजाया मकान देते हैं, फर्नीचर देते हैं, बिजली देते हैं और बिजली के पंखा देते हैं इसके अलावा कार है। जहां आज इस राज्य में हाहाकार मचा हुआ है, दिहातों की हालत कितनी दुःखद हो गई है लोग दाने के लिए मुहताज हैं, खेतिहरों को सरकार रोजो नहीं दे रही है, लोग दम तोड़ने वाले हैं वहां ऐसी परिस्थिति में १२ उप-मंत्रियों को बिना काम उन गरीब किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग के लोगों के सिर पर रख देना कहां तक न्याय हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, डेमोक्रेसी के नाम पर आप कहते हैं कि हमको अधिक पैसे खर्च करना होगा लेकिन हालत यह है कि जब हमलोग प्रश्न पूछते हैं तो समय पर उसका उत्तर तक नहीं मिलता। मुश्किल से ८-९ प्रतिशत सवालों का जवाब मिल पाता है और किसी सेशन में किसी महीने में कभी १० प्रतिशत भी प्रश्नों का जवाब नहीं मिल सका है। हमने एक सवाल दिया था कि इन उप-मंत्रियों के उपर, इनके मकान पर, बिजली पर, कार पर और इनसे सम्बन्धित और चीजों पर कितने खर्च होते हैं.....

अध्यक्ष—क्या आपका कहना यह है कि उप-मंत्री नहीं रहें?

श्री रामानन्द तिवारी—हुजूर, मैं बतला दूंगा।

मैं कहने जा रहा था कि एक तरफ जनता के बीच हाहाकार मचा हुआ है और दूसरी तरफ सरकार का यह रवैया है।

मैं राधाकृष्णन् की लिखी हुई एक हिन्दी की किताब पढ़ रहा था उसमें उन्होंने लिखा है कि नेता दो तरह के होते हैं। एक तरह के वे हैं जिनके आदर्श, आचरण, त्याग और तपस्या से लोग प्रभावित होकर उनके पीछे लगे रहते हैं और दूसरे वे होते हैं जो लोगों को प्रलोभन देकर अपने पीछे रखते हैं।

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति, आप प्रलोभन शब्द उठा लें।

श्री रामानन्द तिवारी—अच्छी बात है, मैं वापस ले लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि आज ट्रेजरी बेंच पर बैठने वालों के बीच एक बड़ा दरार पड़ गया है, उनमें असंतोष और बेचैनी है इसलिए उन्हें मिला कर रखने के उद्देश्य से उप-मंत्रियों के पद का निर्माण किया गया है। यह नहीं देखा गया कि इतने पैसे इनके लिए आखिर कहां से आयेंगे। आज गरीबों का पेट काट कर इनके टी० ए० पर और दूसरे खर्च पर किस तरह रुपया बहाया जा रहा है।

अध्यक्ष—उन्हें जब टी० ए० मिलेगा तभी न गरीबों के पास अन्न वे पहुंचायेंगे।

श्री रामानन्द तिवारी—अध्यक्ष महोदय, इस तरह इतने उप-मंत्रियों की नियुक्ति कर अपने पक्ष में रखने की उपाय किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार यह बतलाये कि प्रति उप-मंत्री पर, उनके मोटर पर, उनके हवाई जहाज पर, बिजली आदि पर कितने रुपये खर्च किए गये हैं, उन्होंने कितना काम किया है। जब बिहार राज्य में सूखाड़ से धान धू-धू कर जल रहा था तो किसान लोग समझ रहे थे कि मंत्री आकर हमारी दशा देखेंगे और सिंचाई का प्रबंध करेंगे। अध्यक्ष महोदय, उप-मंत्री गये लेकिन किसानों के पास नहीं गये, पिच्ड रोड से ही वे जीप पर गये और उनके पीछे-पीछे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, एस० डी० ओ०, थानेदार, सभी लोग थे। वे दिहातों में नहीं जाकर डाकबंगला में ठहरे, किसान बेचारे कहते रहे कि हमारे यहां चल कर देखिए, ट्यूब वेल्स से हमें पानी नहीं मिलता, एस० डी० ओ०, ओवरसियर पानी के लिए घूस मांगते हैं लेकिन इन्होंने कह दिया कि हमें समय नहीं है। हुजूर, इनके जीप पर इतने लोगों के साथ जाने पर चार इंच सड़क धंस गई लेकिन आप यह बतलायें कि किसानों को क्या लाभ हुआ। उनके टी० ए० पर इतने पैसे खर्च हुए......

अध्यक्ष—अगर वे घर बैठते हैं तब भी आपको उज्र है और बाहर जायं तौभी उज्र? (हंसी)

श्री रामानन्द तिवारी—हुजूर, अगर वे घर बैठें तब भी अन्याय की बात है और यदि पिच्ड रोड पर बाहर जायं तब भी यह अन्याय है। मेरा कहना यह है कि इन्हें जाना चाहिए था लेकिन दिहातों में, खेतों में पैदल घूम कर ये देखते कि किसानों की हालत क्या है तब इससे कुछ लाभ होता। मैं चाहता हूं कि अगर उन्हें वक्त नहीं है तो वे दो ही घंटे घूमें लेकिन घूमें तो दिहातों में और मिट्टी की झोपड़ियों में। लेकिन ऐसा नहीं करके वे अपने पीछे अफसरों की एक फौज लेकर जाते हैं जैसे मुगल पीरियड का कोई बादशाह जा रहा हो या कोई राजा जा रहा हो।

अध्यक्ष—क्या जनता भी उनके पीछे जा रही थी?

श्री रामानन्द तिवारी—हुजूर, जनता नहीं, उनके सरकारी मुलाजिम थे। जनता बेचारी तो बुला रही थी कि हमारे यहां दिहातों में चल कर देखिए लेकिन वे वहां नहीं गये। हुजूर, मैं यह कहने जा रहा था कि वे अपने साथ इतने सरकारी कर्मचारियों को लेकर गये और उन लोगों के टी० ए० पर गरीबों के इतने पैसे खर्च हुए। यह रुपया जो टी० ए० के रूप में सरकारी मुलाजिमों को दिया गया क्या यह अच्छा नहीं होता कि ये पैसे गरीबों में बांटे जाते।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि मुंगेर जिले के बढ़हिया ताल में आज कई सालों से फसल नहीं होती है......

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति, बढ़हिया ताल के बारे में आप नहीं बोल सकते ... इसलिए कि इस मांग में बढ़हिया-मुंगेर लिखा हुआ है।

श्री रामानन्द तिवारी—अच्छी बात है हुजूर, मैं केवल बढ़हिया का रेफरेंस दे रहा था

अध्यक्ष महोदय, आज हालत ऐसी हो गई है कि प्रश्नों का उत्तर भी गलत दिया जाता है। गलत उत्तर इसलिए दिया जाता है कि जनता का सम्पर्क मिनिस्टरों से छूटता जा रहा है। वे मिनिस्टर तथा डिप्टी मिनिस्टर बन गये हैं और पटना के महलों में रहते हैं, कहीं जाते हैं तो डाकबंगलों में ठहरते हैं। इसलिए मेरे कहने का मानी यह है कि उप-मंत्रियों की नियुक्ति जो की गई है और बिहार राज्य के गरीब किसान और मध्यम वर्गों के रुपये जो उन पर खर्च हो रहे हैं वह अभिशाप के रूप में एक दिन अवश्य पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा यह देखा जाय कि जेल मद में जो खर्च हो रहे हैं यह भी उचित तरीके से नहीं हो रहे हैं। मंत्रिगण में से सब तो नहीं लेकिन अधिकतर लोग जेल गये हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे बतलायें कि जेलों की हालत क्या है। आज अध्यक्ष महोदय, जेलों के अन्दर गोलियां चलती हैं। बांकीपुर जेल में तीन वर्षों के अन्दर कई बार लाठियां चलीं, कैदी कई बार पेड़ पर चढ़ गये, छत पर चढ़ गये लेकिन आपने उनके लिए क्या किया। रोटी और कपड़ों के लिए कैदियों ने मांग की और नहीं मिलने पर वे शाम को पेड़ पर चढ़ गये।

सुपरिंटेंडेंट के सामने अपना डिमांड रखा और डिमांड नहीं पूरा होने पर पेड़ पर चढ़ गए। कलक्टर, आई० जी०, ए० आई० जी० तथा डी० आई० जी० आते हैं लेकिन कैदी उतरते नहीं हैं। जेल के भीतर क्या होता है हमलोग देख नहीं सकते हैं लेकिन मेरी पूरी तरह जानकारी है, मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि वहां जेल के भीतर गोली लोड करके आस्मानी फायर किया जाता है और लोगों को डराया जाता है। वे लोग किस बेरहमी के साथ, अमानुषिकता के साथ जो कैदी विवश हैं, जिन्हें लोगों ने जेल की चहारदिवारी में बन्द कर रखा है, उन्हें जो करने के लिए कहते हैं करते हैं, इस तरह का अत्याचार करते हैं। इस तरह का अत्याचार, अमानुषिक व्यवहार कैदियों के साथ अंग्रेजी राज्य में भी नहीं किया जाता है। आज लोग कहते हैं कि हमारा भारत स्वतंत्र है और जिसे स्वतंत्र भारत का जेल कहा जाता है, हमारे कैदियों का स्तर उंचा हो गया है, लोगों को सोनपुर मेला में ले जाकर नाटक, ड्रामा और थिएटर खेलाने के लिए ले जाया जाता है। पर मुझे याद है और आपको भी याद होगा, अध्यक्ष महोदय, कि १९५५ में कैदियों को सोनपुर मेले में ले जाया गया था। पर किस तरह के कैदियों को वहां ले जाया गया था यह भी याद होगा। इस सम्बन्ध में मैंने इसी सदन में सवाल भी पूछा था और सरकार की तरफ से उत्तर दिया गया था कि वहां इस तरह के कैदी ले जाए गए थे जिन्हें दो-चार दिन के बाद रेमीशन देकर छोड़ देना था। जो-जो कैदी सोनपुर मेले में गए वे सभी दो चार दिनों के बाद छोड़ दिए गए। इस तरह हजारों रुपये उन पर खर्च किये गये और आज कहते हैं कि कैदियों का स्तर उंचा हो गया है, आज कैदी लोग आदर्श हो गये हैं; पर आप याद रखें जब तक आपके अफसरों का आदर्श उंचा नहीं होगा, जब तक उनका स्तर उंचा नहीं होगा तब तक वे कैदियों के सामने क्या आदर्श रख सकेंगे और कैदी लोगों का स्तर क्या उंचा हो सकेगा? जब आप ही आदर्श नहीं रख सकते हैं तो बेचारे, कैदियों से, सिपाहियों से, हवलदारों से क्या उम्मीद रखते हैं? उनका आदर्श कैसे उंचा हो सकता है इसलिए पहले आप अपने अफसरों को आदर्श बनायें। इस तरह की बात केवल यहीं नहीं, हर जगह, बक्सर आरा, गया, मुजफ्फरपुर, इत्यादि जगहों में होता है। हमारे एक साथी जो इस सदन के सदस्य भी हैं, श्री रामदेव सिंह जो बड़े बहादुर आदमी हैं और जुल्म के विरुद्ध आवाज उठा कर खड़ा होने वाले आदमी हैं, उन्हें सीवान के जेल में सी० डिवीजन में बन्द करके रखा गया है। मैं भी जेल में ९ वर्ष तक रहा हूं, अध्यक्ष महोदय आप तो और

भी अधिक रहे होंगे, हमारे बिनोदा बाबू भी बहुत दिन तक जेल में रहे होंगे लेकिन जब कैदी गाना गाते थे तब उन्हें किसी प्रकार की सजा नहीं दी जाती थी। बांकीपुर जेल में डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद थे और मैं भी था। प्रातःकाल ६ बजे से ७ बजे तक दो कैदी उन्हें गाना सुनाता था। रामदेव ने यदि किसी कैदी से गाना गवाया तो क्या जुल्म हो गया कि हेड वार्डर आता है, बेरहमी के साथ उस कैदी को पीटता है और रामदेव सिंह के हाथों में हथकड़ी देकर, कमर में रस्सी बांध कर सीवान से छपरा जेल में भेज दिया जाता है। उसे २४ घंटा सेल में रखा जाता है। मैं जानता हूं कि जेल की हालत कितनी रद्दी हो गयी है और उसी जेल के लिए आप अपने इतने रुपये खर्च करते हैं। जेल में वार्डर से १६ घंटे तक काम लेते हैं। पांच बजे सुबह में वह जाता है तो उसे एक बजे छोड़ा जाता है। अंग्रेजी राज्य में उन्हें पेशाब के लिए, नास्ता के लिए बीच में छुट्टी दी जाती थी जिसे आज आपने बन्द कर दिया है। आपने ऐडमिट किया है कि आठ घंटे से ज्यादे ड्यूटी किसी से नहीं ली जाती है लेकिन सारे बिहार राज्य के जेलों के ड्यूटी रजिस्टर को मंगवा कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वार्डरों से १६ घंटे ड्यूटी ली जाती है। अगर लोग विरोध करते हैं तो उन पर झूठा इल्जाम लगा कर उन्हें बदल दिया जाता है। मैं बंगाल के जेल में भी रहा हूं, वहां का जेल यहां के जेल से सुपीरियर है, आपका जेल दोजक है, आपका जेल अंग्रेजी राज्य में जैसा था उससे भी बदतर है। आप जेल के लिए जो पैसे खर्च करना चाहते हैं मैं देना नहीं चाहता हूं।

अध्यक्ष—आप पैसा नहीं देंगे तो क्या हालत सुधर जायगी?

श्री रामानन्द तिवारी—उन्हें चरित्रवान बनाएं क्योंकि यह तो हौस्पिटल है। वहां जितनी दरियां बनती हैं, कालीनें बनती हैं, तेल होता है, कपड़ा होता है सब बड़े-बड़े अफसरों के यहां चला जाता है। ये सारी बातें क्यों करते हैं, इसे रोकिए। आप पुलिस विभाग के लिए पैसा मांगते हैं। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि १९५७ साल के क्राइम का फीगर टेबुल पर रखें कि कितनी डकैतियां हुईं, कितने लूट हुए, कितनी राहजनी हुई? आपके सारे राज्य में? मुंगेर, शाहाबाद, छपरा कहीं के लोगों का जीवन और सम्पत्ति सुरक्षित नहीं है। पटना जो बिहार की राजधानी है, जहां पुलिस के मंत्री रहते हैं, आई० जी० रहते हैं, डी० आई० जी० रहते हैं, पुलिस फोर्स रहती है, मिलिटरी रहती है वहां दिन-दहाड़े जो लोग चाहते हैं लुटेरा बन कर लूटते हैं, डकैती करते हैं, लोगों के सीने पर गोली चलाते हैं, भाला चलाते हैं और सब कुछ होते हुए भी आप उनके लिए मांग रखते हैं। आपके बड़े-बड़े अफसर इसे क्यों नहीं देखते हैं और जब नहीं देखते हैं तो इनके लिए आप क्यों पैसा मांगते हैं? आप इसीलिए पैसा मांगते हैं कि जिसमें हमारी संपत्ति सुरक्षित रहे और दिन भर खटने के बाद रात में आराम से सो सकें लेकिन आज होता क्या है? एक एक रात में एक गांव में तीन-तीन डकैतियां होती हैं, एक-एक गांव में एक ही रात में सात-सात डकैतियां होती हैं, मुंगेर जिले में इस तरह से आप पुलिस पर ४॥ करोड़ रुपया खर्च करते हैं। आपने क्राइम को रोकने के लिए कुत्ते को पाला। उस कुत्ते पर आप इतना ज्यादा खर्च करते हैं जितना कि सिपाही या हवलदार पर नहीं करते हैं। मैं पूछता हूं कि आपने तो इतना रुपया खर्च कर दिया कुत्ते के लिए पर यह भी बताएं कि कितने केसेज में आपने चार्जशीट दिया और कितने में कनभिक्शन कराया। आपने बहुत कम चार्ज शीट दिया। आपका जो 'बिहार' निकलता है उसमें आप १९४७ से ही यह लिखते जा रहे हैं कि बिहार की पुलिस पर सब जगहों से कम खर्च होता है। लेकिन यह नहीं बताया गया कि बंगाल में या बम्बई में या उत्तर प्रदेश

में पुलिस पर कितना खर्च होता है और वहां की आमदनी कितनी है। आज आपके पुलिस अफसर मदान्ध हो गये हैं। २१ अक्तूबर की रात की बात है कि एस० पी० साहेब के घर पर राम लखन सिंह संतरी की ड्यूटी थी। रात में कुत्ते ने दरवाजा खटखटाया, एस० पी० साहेब ने बाहर आकर कहा कि "बदमाश, तुम्हारे रहते हुए में यहां दरवाजा किसने खटखटाया?" उसने कहा कि हुजूर का कुत्ता था, इतने में एस० पी० साहेब ने उस पर टौर्च उठा कर बिग दिया। संतरी ने रायफल से रोका तो टौर्च का शीशा टूट गया और टूट कर उनके बदन पर पड़ा। इसके बाद एस० पी० साहेब ने भीतर से गोली भरा हुआ रिवौल्वर लेकर उस पर चलाना चाहा पर उनकी स्त्री ने हाथ धर लिया। आप लोग कहते हैं कि रामानन्द तिवारी विद्रोह कराता है लेकिन जब परिस्थिति ऐसी है तो रामानन्द तिवारी क्या करे? आप इसकी जानकारी ले सकते हैं।

आपने पटने के ड्राइवर को पीटा। गया जिले के गोविन्दपुर थाने के एक सिपाही को रस्सी से बांधा गया और ३६ घंटे तक उसे पेशाब तक भी नहीं करने दिया गया और अन्त में उसे पागल करार कर दिया गया। इसके विषय में मैंने मुख्य मंत्री के पास चिट्ठी लिखी, आई० जी के पास चिट्ठी लिखी। आई० जी० के यहां से जवाब आया कि इसकी मैं जांच करूंगा। अन्त में बेचारा सिपाही इस्तीफा दे दिया और आपने कोई कारंवाई नहीं की। आज ऐसे ऐसे आई० जी० और एस० पी० को आप गद्दी पर बैठाये हुए हैं और कहते हैं कि पुलिस हमारा दायां और बायां हाथ है। आप कहते हैं कि हमने पुलिस का वेतन बढ़ा दिया है तो मैं कहूंगा कि बंगाल और बिहार सरकार के बीच इस मामले में १९४२ तक केवल ४ रु० का अन्तर था। इस समय बंगाल सरकार अपनी पुलिस को महंगी लेकर १०५ रु० देती है लेकिन आप ६०, ६५ रुपया ही देते हैं। आप उनसे १६ घंटा काम लेते हैं लेकिन आपका कोई अफसर ८ घंटा से ज्यादा काम नहीं करता है। इंग्लैंड, इंडोनेशिया, फ्रांस आदि में ओभर टाइम का पैसा दिया जाता है लेकिन आप वह भी नहीं देते हैं। आज आप सिर्फ बड़े-बड़े अफसर की ही मदद करते हैं, नीचे के कर्मचारियों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। आप अपने बड़े-बड़े अफसरों को कार देते हैं, अर्दली देते हैं लेकिन वह अफसर इनसे अपनी गाय के लिये कुट्टी कटवाता है, गोबर फेंकवाता है यहां तक की कोई-कोई अफसर उनसे अपनी गाय का दूध बिक्री करवाता है। इसलिये मेरा कहना है पुलिस विभाग पर ज्यादा पैसा नहीं खर्च किया जाय। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस विभाग का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिये एक कमिश्नर की नियुक्ति होनी चाहिये और उसका अध्यक्ष हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हो, पालियामेंट या असेम्बली का सदस्य हो या पुलिस सिपाही का प्रतिनिधि हो। ब्रिटिश शासन के वक्त से जो पुलिस मैनुअल चला आ रहा है उसमें सुधार होना अनिवार्य है। कमिटी बना कर पुलिस की डियुटी, चोरी, डकैती आदि में सुधार करवानी चाहिये।

आज बिहार के लोग सूखे से कराह रहे हैं। आप कहते हैं कि हमने नलकूप का निर्माण किया है लेकिन क्या आपका नलकूप ठीक से कार्य कर रहा है, क्या आपका वह नलकूप पक्का बना हुआ है, नहीं। आपने ठीकेदारों के हाथ में देकर सीमेंट का ब्लैक-मार्केटिंग करवा दिया। मैं आरा जिले की बात कहता हूं कि वहां का एक भी नलकूप ठीक नहीं है, वह ऐसा बना हुआ है कि लात मारने से या पानी की चोट से टूट जाता है। इसका कारण यह है कि उसमें एक आना सीमेंट और १५ आना बालू मिला दिया गया है। आप कहते हैं कि उसे देखने के लिये मंत्री और उप-मंत्री भी जाते हैं तो मैं कहूंगा कि जब आप देखने जाते हैं तो आप क्यों नहीं कहते हैं कि यह ठीक नहीं बना है, आप क्यों नहीं उसके जिम्मेवार आदमी से पूछताछ करते हैं। आप कहते हैं कि एक

नलकूप से ३०० एकड़ जमीन की सिंचाई होती है लेकिन यह गलत है। प्रजा सोशलिस्ट दल के लोग जब आप से सिंचाई का रेट कम करने के लिये कहते थे तो आप नहीं करते थे और आज जब धान मर गया तो आपने १ और २ रु० रेट कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री कहते हैं कि सिंचाई रेट में कमी करो। चार-पांच वर्षों से हमलोग कहते आ रहे हैं; हमारे जयप्रकाश नारायण जी कहते आ रहे हैं कि मीडियम सिंचाई का अधिक से अधिक प्रबन्ध किये जायें, किसानों के लिये नहीं तो नेशनल फायदा के लिये, राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने के लिये सिंचाई का प्रबन्ध करें और सिंचाई रेट में कमी करें। अध्यक्ष महोदय, १८७२ ई० से १९२५ ई० तक अंग्रेजों के समय सोन कनाल से २८ हजार घनफुट पानी मिलता था और उससे ४ लाख एकड़ ज़मीन सिंचित होती थी लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि अब १८ हजार घन फीट पानी मिलता है और उससे ८ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई की जाती है और इस तरह पानी लोगों को बहुत कम मिलता है, सारी जमीन की सिंचाई ठीक से नहीं हो पाती है। आप ऐसी जगहों में नलकूप लगायें। शाहाबाद को कम से कम १०० नलकूप मिलने चाहिये और एक सौ एकड़ का प्लौट बनाये जाय जिसमें पानी का प्रबन्ध सिंचाई के लिये सरकार करे, पानी किसान न लेना चाहें तो आप जबर्दस्ती दीजिये, उनको कम्पेल कीजिये। जब तक आप ब्लॉक नहीं बनायेंगे और सुप्रबन्ध न करेंगे तो सिंचाई का प्रबन्ध नहीं होगा और इस तरह पैदावार भी अच्छी नहीं होगी। आप देखिये, मद्रास, बम्बई तथा देश के अन्य प्रदेशों में उन्नति हुई है, पैदावार में वृद्धि हुई है लेकिन यहां पचवर्षीय योजना के पश्चात् किसी तरह की उन्नति नहीं हुई है, पचवर्षीय योजना खत्म हो गई है, उससे स्थिति और भी नीचे की ओर जा रही है। आप एन० ई० एस० ब्लॉक को देखें, ज्यादा नहीं, तृतीय पंचवर्षीय योजना में १९६२ में देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जितने भी काम हुए हैं उनकी निशानी भी नहीं रह पायेगी। आप आहर और कूआं भले ही बनाने की बात कहें लेकिन उसकी निशानी नहीं मिलेगी। आज ब्लॉक पर जो खर्च किये जाते हैं उससे किसानों को कोई हित नहीं होता है। मैं कहना चाहता हूं कि यह गलत तरीका है। उत्पादन में वृद्धि करने के लिये, आप सिंचाई का अधिक से अधिक प्रबन्ध करें और नहर रेट कम करें। अध्यक्ष महोदय, शाहपुर थाने में भदई फसल मारी गई, चैती फसल ६०।७० प्रतिशत मारी गई, उत्तरी दियारा की फसल मारी गई, किसानों को बीज नहीं दी गई। पम्पिग सेट जाता है और बरबाद हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, तीन-तीन पम्पिग सेट्स गये लेकिन तीनों बरबाद हो गए। आप जानते हैं कि हथिया तो १९५२ से ही धोखा देता आया है, आज के विज्ञान के युग में आकाश से पानी नहीं मिलता है तो हम धरती को फाड़ कर पानी प्राप्त कर सकते हैं, आप ऐसा करें और किसानों को दें लेकिन वह काम नहीं हो रहा है और सिंचाई विभाग पर जो रुपए खर्च हो रहे हैं वे सब बरबाद किये जा रहे हैं। यह कहा गया कि शाहपुर थाने में नदी को बांध दिया जाय तो ५ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। ऐग्रिकल्चर अफसर जाता है, उसकी जांच होती है, उनका विचार होता है कि स्लूइसगेट लगे लेकिन नहर विभाग कहता है कि हम नहीं लगवाने देंगे। आप सात साला, या एक साला लेते हैं लेकिन पानी नहीं देते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि शाहपुर थाने में छेरे नदी को बंधवाइये। ऐसा करके आप विक्रमपुर, सिकरिया, बनकट, जमुआओ, बिहिया आदि गांवों की सिंचाई करा सकते हैं। आज इन गांवों में ९० प्रतिशत लोग तीन-तीन शाम चार-चार शाम भूखों रहते हैं, उनको खाना नहीं मिलता है। हार्ड मैनुअल लेबर, कहा गया था कि शुरू कराइये लेकिन आप नहीं करा रहे हैं। माननीय राजस्व मंत्री ने कहा है कि काम हो रहा है

लेकिन आज तक एक भी हार्ड मैनुअल लेबर का काम इन जगहों में नहीं हुए हैं। आप कहते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट को रुपया दे दिया गया है लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि ८ महीने १० महीने हो गये लेकिन लोन के लिये जो दरखास्त लोगों ने दी उनको अभी तक रुपया नहीं मिला। सूचित महतो, विश्वनाथ महतो, राम रामसकल महतो, नयुनी अहीर, सुखलाल महतो, केशवर प्रसाद महतो, राम आसरे महतो आदि बीस आदमियों की दरखास्तें पड़ी हुई हैं लेकिन उनको रुपया नहीं मिला। एस० डी० ओ० मलिक साहब बहुत कोशिश किये लेकिन उनको रुपया नहीं मिला। राजस्व मंत्री को खत लिखा, करबद्ध प्रार्थना मैंने की कि इसमें वे हस्तक्षेप करें जिसमें रुपया जल्द मिल जाय। राजस्व मंत्री ने बड़ी मेहरबानी करके अन्डर सेक्रेटरी को लिख दिये और अन्डर सेक्रेटरी चार दिनों के बाद कलक्टर को लिख दिये, लेकिन इससे काम नहीं चल सकता है, मालूम होता है कि उनको कर्जा नहीं मिला है। आप कहते हैं कि बीज पंहुचा दिया, दूसरी जगह पंहुचा होगा लेकिन हम जानते हैं कि उत्तर शाहाबाद में कि किसानों ने बाजार से बीज खरीद कर लायें और उसके बाद बीज पंहुची। आप कहते हैं अध्यक्ष महोदय, कि सारा प्रबन्ध हमने कर दिया है, पेपर में स्टेटमेंट देते हैं कि एक आदमी भी भूख से नहीं मरेगा। एक आदमी मर गया, 'आर्यावर्त' में निकला। एस० डी० ओ० इन्क्वायरी करने के लिये गये और लिख दिये कि भूख से नहीं मरा।

अध्यक्ष—मरने के पहले मिनिस्टर को ले जाइये यह देखने के लिये कि अमुक आदमी के यहां कितने शाम का भोजन है।

श्री रामानन्द तिवारी—मुझे बड़ी खुशी होगी। क्या डिप्टी मिनिस्टरों के लिये यह कर्त्तव्य नहीं है कि जिस थाने में वे जायं इसकी सूचना वहां के सदस्यों को दे दें, उनको भी अपने साथ ले लें और स्थिति की सच्ची जानकारी हासिल करें? शाहपुर की हालत बहुत खराब है इस सूखे के कारण और लोगों की हालत बहुत ही खराब है।

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति। विना सूचना दिये हुए कोई मंत्री या उपमंत्री किसी गांव में किसी गरीब के यहां चले जायं और जाकर देखें कि उसके पास कितना अन्न है तो पता चल जायगा।

श्री रामानन्द तिवारी—ऐसा कौन उपमंत्री या मंत्री है जो किसी गांव में जाकर इसका पता लगाता है कि उसका स्टार्वेशन डेथ हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं कह रहा था कौरा में जो बनास नदी है और जो हमारे उपमंत्री का क्षेत्र भी पड़ता हैं, उसको बांध देने से काफी सिंचाई हो सकती है। ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अफसर कहते हैं कि इसको किया जाय लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट के अफसर नहीं होने देते हैं।

अभी हाल ही में कांग्रेस कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पास किया है कि जनमत के बल पर हम खाद्य समस्या का हल कर लेंगे तो मैं आपसे पूछता हूं कि उसके सम्बन्ध में आपने क्या किया? क्या आपने कोई कमिटी गांव-गांव में बनायी? क्या आपने विधान सभा के सदस्यों से या एम० पी० से इस सम्बन्ध में राय ली? अभी दो-चार रोज की बात है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में विधान सभा के सामने कई हजार किसान और मजदूर अपना पेट बांध कर, चार-पांच रोज पैदल चलकर प्रदर्शन करने आये थे तो सरकार ने कहा था कि हम सचेस्ट हैं, जागरूक हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि वह जागरूकता आपकी कहां गयी। यह आपके प्रधान मंत्री ने कहा है,

कांग्रेस कार्यकारिणी का प्रस्ताव है उसपर आप अमल क्यों नहीं करते। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने अपने शाहपुर थाने के बारे में कलक्टर, एस० डी० ओ० से मिलकर कहा था कि जो अपाहिज हैं, बूढ़े हैं जो काम नहीं कर सकते हैं उनको फ्री राशन दीजिए, लेकिन आपने किसी को आजतक कोई सहायता नहीं दी।

हमारे खाद्य मंत्री ने कहा है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने समूचे सूबे में घूम-घूम कर देखा है तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे आरा टाउन तक गये और कलक्टर और एस० डी० ओ० से मिलकर चले आये। क्या उन्होंने देहात में जाकर इसकी जानकारी प्राप्त की कि लोगों की क्या हालत है? मुंगेर, मुजफ्फरपुर, चले जाने से काम नहीं चलेगा आरा और छपरा भी जाना चाहिए और वहां के देहातों में जाकर पता लगाना चाहिये। मैं जानता हूं कि वे अधिक परिश्रम करते हैं। सारे सूबा का उत्तरदायित्व उनके सिर पर है। तो क्या उनका यह कर्त्तव्य नहीं है कि हर सबडिवीजन के एक-एक थाने के अन्दर जायं। इसलिए मैं कहता हूं कि कम से कम हमारे थाने के हरएक गांव में राशन का प्रबन्ध करें और जो अपाहिज और भिखमंगे हैं, जो चल-फिर नहीं सकते हैं उनको फ्री राशन दें। शाहाबाद जिले के लोग भिक्षा मांगना नहीं जानते लेकिन जो अपाहिज हैं उनके लिए तो आपको इन्तजाम करना ही होगा।

आप कह देते हैं कि वहां नहर है लेकिन नहर से पानी आपने नहीं दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि छेर नदी को बंधवावें तो वहां का काम चल सकता है।

दूसरी चीज यह है कि आपका पटने में इतना बड़ा मेडिकल कालेज है और उसमें इलाज के लिए हजारों रोगी रोज आते हैं लेकिन उनके रहने के लिए आपने क्या इन्तजाम किया है। वे बेचारे पीपल के पेड़ के नीचे पड़े रहते हैं और अस्पताल में जाने पर धक्के मिलता है। अन्त में वे लाचार होकर डाक्टरों के पास जाते हैं और उनको फीस देकर अस्पताल में भर्त्ती होते हैं। हमारे पास कितने ही रोगी आते हैं और हमको ले जाते हैं। हम जाते हैं और कहते हैं तो कुछ का काम होता है और कुछ का नहीं होता है। अभी हमारी स्त्री बीमार है। डाक्टर को शक हो गया कि उसको टी० बी० हो गया है। उसने एक्सरे कराने की सलाह दी। ४ नवंबर को जेनरल अस्पताल में एक्स-रे हुआ लेकिन आजतक उसकी रिपोर्ट नहीं आयी। डिस्पेन्सरी का डाक्टर लिखता है कि रामानन्द तिवारी की स्त्री का एक्स-रे हुआ है उसकी रिपोर्ट भेजो लेकिन आजतक रिपोर्ट नहीं आयी। आज १७ रोज हो गये। यह तो विधान सभा के सदस्य की बात है। जो सुविधा आपने हमको दी है वह भी नहीं मिलती। आप परमिट देते हैं नेशनल हाल का वहां आदमी जाता है। दवा नहीं मिलती है। तीन-चार दिन परमिट बनवाने और दवा लाने में लग जाता है। रोगी छटपटाता रहता है लेकिन दवा नहीं मिलती है। मैं कहता हूं कि इस फैसिलिटी को तोड़ दीजिए या उसका अच्छा प्रबन्ध कीजिए। एक और बात है। हमलोगों के लिए जो डाक्टर हैं वह भी असिस्टेन्ट सर्जन हैं और गर्दनीबाग के इन्चार्ज जो डाक्टर हैं वे भी असिस्टेंट सर्जन हैं। लेकिन हमारे डिस्पेन्सरी का डाक्टर कोई दवा लिखता है तो उसको परमिट बनवाने के लिये गर्दनीबाग हास्पिटल जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? इसमें काफी परेशानी और समय की बरबादी होती है। दोनों ही डाक्टर हैं एक ग्रेड के। क्यों नहीं डिस्पेन्सरी के डाक्टर को ही यह अधिकार दिया जाता है कि वह परमिट दे सके। यह तो हालत हमलोगों की है जो विधान सभा के सदस्य हैं और जनता द्वारा चुनकर यहां आये हैं लेकिन जो जनता है उसकी कौन परवाह करता है।

पी० डब्ल्यू० डी० की क्या बात है। एम० एल० ए० फ्लैट आपने बनाया था। वह चू रहा है। हमलोगों के लिए ओल्ड फैमिली टाइप जो क्वार्टर है उसके बाहर कल नहीं है। नतीजा यह होता है कि हमलोगों से मिलने के लिए देहात के जो आदमी आते हैं उनको पानी लेने के लिए क्वाटर के भीतर जाना पड़ता है जहां औरतें रहती हैं। हमलोगों के क्वार्टर में एक ही बेडरूम है उसमें एक बड़ा बरामदा है। हमने लिखा कि उसको घेर कर एक कमरा और बना दिया जाय। उसके लिखे आज डेढ़ वर्ष हो गये लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। फरनीचर एक दम सड़ गल गया है। उसको बदला नहीं जाता। लेकिन जो मिनिस्टर या डिपुटी मिनिस्टर हो जाते हैं उनके लिए रातभर में सब चीज का इन्तजाम हो जाता है।

अध्यक्ष—क्या आपने किसी गरीब को अमीर बनते हुए नहीं देखा?

श्री रामानन्द तिवारी—हमतो सबको अमीर देखना चाहते हैं।

अढ़ाई हजार रुपया सैंक्शन हो गया है लेकिन फिर भी दो महीने से पड़ा हुआ है। यदि विधान सभा के सदस्य के साथ ही इस तरह का बर्ताव रहा तो न जाने और लोगों का क्या हाल होगा जब कि इनके बनानेवाले की यह हालत है।

अध्यक्ष—हमको डर है कि आप भी आवेंगे तो ऐसा ही करेंगे।

श्री रामानन्द तिवारी—हमलोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैं भी सदस्य हूं और मैं तो थर्ड क्लास का सिंगिल टी० ए० लेता हूं। आप अपने लिये सब तरह की सुविधा चाहते हैं। फैमिली क्वार्टर का सवाल भी डेढ़ वर्ष से पड़ा है। अभी तक फेंसिंग का काम भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैं तो कहूंगा कि इतने उपमंत्रियों तथा मंत्री न रखे जायं। मेरे ख्याल में तो चार मंत्री और चार उप-मंत्री ही रहना चाहिये।

एक सदस्य—उस चार में कौन-कौन लिये जायं?

श्री रामानन्द तिवारी—उस काम में जब आपलोगों की नहीं चलती है तो हम विरोधियों की कैसे चल सकती है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि जनता की गाढ़ी कमाई को इस तरह से दुरुपयोग नहीं किया जाय।

(अन्तराल)

Shri RAMCHARITRA SINHA : Sir, I should like to draw your attention to Article 164(2) of the Constitution, wherein it is stated that the Council of Ministers is collectively responsible to the State Assembly. As none of the Cabinet Ministers is present in the House, I would request you to adjourn the House, for the House is not in order.

SPEAKER : How does the hon'ble member say that the House is not in order? The House will not be in order if there is no quorum.

Shri RAMCHARITRA SINHA: That is not the point here, Sir. My point is that the Council of Ministers is responsible to this House, and be ause none of them is present the House is not in order. At least one Minister of cabinet rank should have been present in the House. Sir, if you do not take a stern attitude in such a matter things would not improve.

SPEAKER: Article 189(3) of the Constitution says "the quorum to constitute a House of the Legislature of a State shall be 10 members or one-tenth of the total number of members of the House whichever is greater".

Shri RAMCHARITRA SINHA: I am not contesting that point, Sir. So far as the question of quorum is concerned the House is certainly in order, but Sir, how are you going to override the provisions contained in Article 164(2) of the Constitution, which lays down that the Council of Ministers is responsible to this House? And when, Sir, not a single member of the Council of Ministers is present the House is not in order and should be adjouned.

SPEAKER: That can at best be a convention.

Shri RAMCHARITRA SINHA: No, Sir, it is not a question of convention. The person responsible to this House is absent and so the House is not in order, and should be adjourned. When all of them are absent how can the House be in order?

SPEAKER: It is clearly a disrespect to the House that no member of the Council of Ministers is present. I should like to know, what is the sense of the House.

Shri PRABHUNATH SINGH: I do not disagree to the protest about the absence of Minister, but I feel that the business of the House can be carried on as under the rules Minister includes Deputy Minister.

SPEAKER: That is not the point here.

An HON'BLE MEMBER: You may leave the Chair now, Sir.

SPEAKER: I can leave the Chair with the permission of the House.

श्री हरिवंश नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि बार-बार देखते हैं इसकी चर्चा होती है और कई बार आपने कहा है कि इससे डिसरेसपेक्ट टू दि हाउस होता है तौभी यह बात हो गई। इस हालत में कैसे काम होगा?

अध्यक्ष—मैं सभा की राय जानना चाहता हूं। जो सभा को बन्द करने के पक्ष में हैं वे हाथ उठावें। (सदस्यों ने हाथ उठाया) अब जो विपक्ष में हों वे हाथ उठावें। (सदस्यों ने हाथ उठाया) पक्ष में ५० और विपक्ष में ३०। इसलिए मैं सभा की कार्यवाही को २० मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(सभा की कार्यवाही २० मिनट के लिए स्थगित की गई)

(२० मिनट के बाद पुनः सभा की कार्यवाही आरम्भ हुई।)

श्री रामानन्द तिवारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कह रहा था कि यह

सरकार किस तरह खर्च बढ़ाती जा रही है लेकिन उस खर्च के अनुसार काम नहीं कर रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण अभी मिला जब इस सदन का काम २० मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया और १०, १५ मिनट जो इस पर डिबेट में लगा वह अलग। जिस बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई के हजारों रुपए यहां के ९ मंत्रियों और १२ उप-मंत्रियों के रहन-सहन पर खर्च किया जाता है, वह जनता जो दुख और मुसीबत झेल कर इनके खर्च के पैसों को देती है जिससे इनके लिए सुन्दर बंगलों का प्रबन्ध किया गया है, जिस पैसे से इनको कार और अर्दली दिए गए हैं, उस जनता की सेवा किस तरह की जा रही है यह आज हमें देखने को मिला है। क्या यह उनके, हमारे और सारे सदन के लिए शर्म की बात नहीं है? यह दुख की बात है कि ९ मंत्रियों के रहते हुए इस सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, इसलिए कि हमारे मंत्रिगण यहां आये नहीं। जब उनका यह आचरण है तो इनके अफसर जो जिलों में हैं और सिकरेटेरियट में हैं आप समझ सकते हैं उनकी हालत क्या होगी? इस सदन पर ७,८ हजार रोजाने का खर्च है और आज कितना पैसा गरीब जनता का खर्च हुआ और बरबाद हुआ? हम किस तरह आशा करें कि बिहार की जनता के उचित अधिकार और जीवन की रक्षा इस सरकार द्वारा हो सकती है? आज ही यह बात नहीं हुई है। यह कई बार की कहानी है। हमारे वयोवृद्ध रामचरित्र बाबू ने कितनी बार इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन उस पर भी आराम से खाकर ये सोते रहे और ठीक समय पर यहां नहीं आए। यह सरकार के लिए शर्म और लज्जा का विषय है और सदन के लिए भी लज्जा की बात है। इसलिए आज यह प्रमाणित हो गया कि बिहार की जनता ने इस सरकार के ऊपर राज भार का उत्तरदायित्व देकर उचित कार्य नहीं किया और इस कारण सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए इसी बात पर और उसके बाद मैं कहता हूं कोई भी मंत्री चलकर मेरे साथ एलेक्शन लड़ें। ये मंत्रीगण समझते हैं इनके सर पर तो कोई है नहीं जो चाहेंगे जो करेंगे और वोट प्राप्त कर फिर आ जायेंगे। मैं पूछता हूं किस बूते पर आप उन गरीबों की झोपड़ियों में वोट मांगने के लिए गए थे? किस बल पर आपने उनकी गाढ़ी कमाई के हजारों हजार प खर्च करना चाहा? जब कोई निम्न श्रेणी का कर्मचारी आपको कहता है कि हमारा वेतन बढ़ाइये क्योंकि महंगी के कारण ५०-६० या १०० रुपया में हमारा खर्च नहीं चलता, हम अपने बच्चों को पाल नहीं सकते; वे भूखों मरते हैं; तो आप कहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं हम कहां से खर्च बढ़ावें और ज्यादा वेतन दें। यहां पटने के कर्मचारियों के एसोसियेशन की तरफ से कुछ मांगें आपके सामने रखी गईं। आपने वही दलील पैसे की कमी की दी। आप अपने बड़े-बड़े अफसर, चीफ सिकरेटरी.........

श्री विनोदानन्द झा—मैं एक पाइन्ट ऑफ आर्डर रेज करता हूं। रूल १८६ के

मुताबिक सप्लीमेन्टरी बजट के मोशन के विवेचन की एक मर्यादा है। जेनरल बजट की तरह इस पर बहस नहीं हो सकती। मैं जानना चाहता हूं कि वह मर्यादा श्री रामानन्द तिवारी के भाषण पर लागू है या नहीं?

श्री रामचरित्र सिंह—लेकिन जो इमीजियेट चीज हुई है उस पर तो बोल सकते हैं।

श्री विनोदानन्द झा—तो आप नोकंफिडेंस मोशन ला सकते हैं।

Shri RAMCHARITRA SINHA : I can remind the House and you that..

Shri BINODANAND JHA : You can simply draw upon your own experience. You need not remind the House. The House is only too familiar with all that. If you have a grievance, we will welcome a motion of no-confidence. We know that you are powerless to censure us.

SPEAKER : If we have speeches and counter-speeches like this from Ministers or Ex-Ministers there will be no end to it. No Minister or Ex-Minister has any right to carry on cross talks like this while the Speaker is there. A point of order has been raised already and the Speaker is trying to assess the situation. I have always discouraged such cross talks and I do not like the cross-talk that is now going on between a Minister and Ex-Minister.

As regard to the point of order although this point struck me at the very beginning of the debate, my difficulty is this that the supplementary budget covers such a wide range of subjects and expenditure that no member can be prevented from raising a discussion on any point concerning any department whatsoever. Ministers and Deputy Ministers are always liable to be criticised in this House on any subject whatsoever. I cannot prevant discussion on any point, That is my difficulty.

Shri BINODANAND JHA : "On any point" covered by the supplementary demand.

SPEAKER : That is why I have said that the field is so vast and the range is so wide that it is difficult to restrict the debate. You may call it a supplementary budget; but is it a supplementary budget really with 16 crores and 17 lakhs of total demands?

Shri BINODANAND JHA : The point is this that the implication of the rule is that the debate on the supplementary budget should not copy the debate on the general budget. There is your own ruling on the point.

SPEAKER : The debate on an Appropriation Bill shall be restricted to matters of public importance or administrative policy implied in the grants covered by the Bill which have not already been raised while the relevant demands for grants were under discussion.

So many points and policies of all Departments are covered by the Bill. Therefore, how am I to distinguish it from an ordinary budget discussion ?

Shri BINODANAND JHA : Sir, I beg of you to reconsider your ruling; if you allow a debate like the general discussion on this budget, there will be no end.

SPEAKER : I do not and cannot do like that.

Shri BINODANAND JHA : You have to make a distinction between the discussion of this budget and the general budget.

SPEAKER : But the difficulty is how to apply it.

Shri RAMCHARITRA SINHA : I would like to say a few words in this connection.

SPEAKER : Already 10 minutes' time has been taken on this and you want to take more time. Then, Shri Ramanand Tewari should know that his time is being curtailed.

श्री रामानन्द तिवारी—अध्यक्ष महोदय, तो मैं यह कह रहा था कि किस तरह से गरीब जनता का पैसा बरबाद किया जा रहा है। यह सरकार मनमाने ढंग से उनका पैसा खर्च कर रही है। जनता के वोट से चुनाकर और इस विधान सभा का सदस्य चुने जाने पर ही कोई आदमी मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है। लेकिन आप देखते हैं कि यहां पर विधान परिषद् के दो नौमिनेटेड सदस्य मंत्री और एक उप-मंत्री हैं। क्या यही डिमोक्रैटिक तरीका मंत्रिमंडल बनाने का है? क्या इस तरह से आप अपने आदमियों को बैकडोर से लाकर मंत्रिमंडल में नहीं रखे हैं? संविधान में यह लिखा हुआ है कि जो भी आदमी मंत्रिमंडल में विधान सभा के सदस्य न होने पर मंत्री बनाये जायं उनको ६ महीने के अन्दर जनता के यहां जाकर और चुन कर इस सभा का सदस्य हो जाना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसे मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में रखे हुए हैं जो कभी भी जनता के पास नहीं गये हैं और इस तरह से आप मनमाना ढंग से काम कर रहे हैं।

इसी तरह से जब आपके सेक्रेटेरियट के गरीब कर्मचारी अपना मुशाहरा बढ़ाने के लिये कहते हैं तो आप कहते हैं कि आपके पास इसके लिए पैसा नहीं है लेकिन अपने मकान और फर्नीचर पर बेहद रुपया खर्च कर रहे हैं। आप शिशम लकड़ी की जगह पर वर्मा टीक वूड का फरनीचर मंगाते हैं। आपके बंगले में आज कीमती वर्मा टीक वूड के फरनीचर हैं। क्या अंग्रेजी राज में इस तरह से कभी खर्च होता था? क्या उस समय ग्लास पैड रहता था। आज १० हजार रुपये का ग्लास पैड आप बाहर से मंगा रहे हैं। पहले ब्लौटिंग से अंग्रेजी राज के जमाने में यह काम होता था लेकिन आज आप १० हजार रुपये का बाहर से ग्लास पैड मंगा कर गरीब जनता के पैसे को बरबाद कर रहे हैं। सड़क बनाने, पुल बनाने और गरीब किरानी का मशाहरा बढ़ाने के लिये तो आपके पास पैसा नहीं है लेकिन इस तरह से आप बाहर से ग्लास पैड, वर्मा टीक वूड का फरनीचर, दरी और कालीन पर बेहद रुपया खर्च कर रहे हैं। आप तो गरीब और भूखी जनता के मिनिस्टर हैं और आपको इस तरह से उनका पया इन कामों पर फजूल न खर्च

करना चाहिये लेकिन आप ो उनके रुपये का दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी हाल ही में आई० जी० पुलिस के यहां ४ हजार रुपये की दरी ऑफिस सजाने के लिये आया है। करीब ३६ हजार रुपया आप हर साल खस की टट्टी लगाने में खर्च करते हैं। क्या अंग्रेजी राज के जमाने में इस पर खर्च होता था? आप मनमाने ढंग से खर्च करके खश की टट्टी लगाते हैं और ऊपर से उस पर पानी पटाने के लिये कुली भी रखते हैं। आप अपने बागीचे के लिये सरकारी खर्च पर माली भी रखते हैं। क्या इस तरह से अंग्रेजी राज में क ो जनता का रुपया बरबाद किया जाता था?

अध्यक्ष—आप तो इन सब बातों को कई बार कह चुके हैं।

श्री रामानन्द तिवारी—ग्लास पैड के बारे में मैं पहले-पहल कह रहा हूं। अभी दो दिन पहले तो ग्लास पैड का नाम सुना और अभी देखने का मौका नहीं मिला है। आप तो यहां पर यह कहते हैं कि आप जनता के शुभचिन्तक हैं लेकिन उनका रुपया बहुत ही बेरहमी से खर्च करते हैं। जब गरीब किरानी अपना मुशाहरा बढ़ाने के लिये कहता है तो आप कहते हैं कि गरीब देश और गरीब जनता के राज में तपस्या और त्याग करने की आवश्यकता है और ऐसा करने के लिये उसे उपदेश देते हैं लेकिन आप खुद वैसा आचरण नहीं दिखलाते हैं। सबसे पहले आपको अपना त्याग और बलिदान दिखलाना चाहिये। इसी पटना सेक्रेटेरियट के कर्मचारी ने एक मेमोरेन्डम दिया है जिसे सिक्रेट कहते हैं और उसमें उनलोगों ने यह दिखलाया है कि किस तरह से यह सरकार गरीबों के तीन करोड़ रुपयों को बेदर्दी और बेरहमी के साथ खर्च करती है। जब आपसे वे लोग अपने वेतन बढ़ाने के लिये कहते हैं तो आप सिर्फ १०० पया तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये ५ रुपया महंगायी का भत्ता बढ़ा देते हैं।

अध्यक्ष—आपको बेदर्दी और बेरहमी शब्द का व्यवहार नहीं करना चाहिये।

श्री विनोदानन्द झा—माननीय सदस्य का बोलने का जो तर्ज है उससे मुझे इन शब्दों पर कोई इतराज नहीं है।

श्री रामानन्द तिवारी—आप अपने और अपने बड़-बड़े अफसरों के लिये बाहर से फरनीचर मंगाते हैं, उनके लिये ग्लास पैड खरीदते हैं और इस तरह से आप गरीबों के रुपये को बरबाद करते हैं। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसे इस पर सोचना चाहिये और गौर करना चाहिये कि उसे किस तरह से काम करना चाहिये। अभी सारा काम कागज पर होता है और सिर्फ दिखलाने के लिये होता है। लेकिन दरअसल काम तो कुछ नहीं होता है। हमारे मंत्री लोग मिहनत नहीं करते हैं। अगर आप मिहनत करते और खूब सोच-विचार कर काम करते तो आप करोड़ों रुपये बरबाद न करते। आप एक ओर से गरीब जनता पर कर पर कर बढ़ाते चले जा रहे हैं और दूसरी तरफ इन रुपयों को बरबाद करते हैं और उनका दुरुपयोग करते हैं। यह तो वही बात है कि "जस जस

सुरसा बदन बढावा तासु दुगुन कपि रूप दिखावा" जितना पैसा जनता दे रही है उतना ही कर और लगाते चले जा रहे हैं और आज दुर्भिक्ष के जमाने में आपके कर से जनता कराह रही है। जब आप कम खर्च करेंगे तभी आपके कर्मचारी और अफसर आपका अनुकरण करेंगे।

अध्यक्ष--आपकी १० मिनट का समय खत्म हो गया।

श्री रामानन्द तिवारी—अब मैं तुरत खत्म करता हूं। अभी ९ मंत्री और १२ उपमंत्री हैं और हमारा ख्याल है कि इन १२ उपमंत्रियों पर बेकार रुपया खर्च किया जा रहा है। आप अगर ९ मंत्री रखना चाहते हैं तो इन १२ उपमंत्रियों को हटा दीजिये। नहीं तो आप ४ मंत्री और ४ उपमंत्री रख करके आसानी से सरकारी काम चला सकते हैं। इतने मंत्रियों और उपमंत्रियों को रखने की कोई जरूरत नहीं है।

आप कराची कांग्रेस रिजोल्यूशन का अनुकरण करें। अपनी तनख्वाह में कमी करें और १२ हजार का जो सलाना टी० ए० लेते हैं उसमें कमी करें। १,५०० रुपया तनख्वाह लेने के बाद भी आप इतना टी० ए० लेते हैं और दूसरी तरफ सरकारी नौकरों को कहते हैं कि खर्चा कम करो, तनख्वाह कम लो। कुछ दिन पहले कौंसिल में एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या यह बात सही है कि एक मंत्री ने १३ हजार रुपया टी० ए० एक साल में लिया ह इसके अलावे आप प्राइवेट काम करने के लिए कहीं जाते हैं और सरकारी कोष से टी० ए० लेते हैं। यदि हम इसके बारे में प्रश्न पूछते हैं तो आप उत्तर तक नहीं देते हैं। यदि जनतंत्र पर आप विश्वास रखते हैं, यदि डेमोक्रैसी पर आपकी श्रद्धा है तो आप अपने आचार-विचार को बदलें। आप अपने कथनी और करनी को एक साबित करें। मैं जानता हू कि विरोधी दल का इस सभा में बहुमत नहीं हैं, मैं यह भी जानता हूं कि यह बिल पास होकर रहेगा। मैं जानता हूं कि इतना कहने के बावजूद भी आप अपने मनमाना ढंग से जनता का पैसा खर्च करेंगे। मगर मैं अनुरोध करता हूं आप जरा सोचें और समझने की कोशिश करें कि आपका आचरण जनता के साथ ठीक है या नहीं। इसमें आपके साथ दुश्मनी नहीं है । पं० विनोदानन्द झा के लिए मुझे श्रद्धा है, मैं उनका आदर करता हू।

श्री विनोदानन्द झा—अध्यक्ष महोदय, किसी भी मंत्री का नाम लेकर तारीफ या शिकायत करने से माननीय सदस्य को रोका जाय। वे मेरी तारीफ कर रहे हैं मगर उसका इम्पिलीकेशन यह हो सकता है कि दूसरे मंत्रीगण तारीफ के लायक नहीं हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि वे मेरा नाम लेकर तारीफ न करें।

अध्यक्ष—मैं नहीं चाहता कि आप किसी मंत्री का नाम लें।

श्री रामानन्द तिवारी—अच्छा, अब मैं नाम नहीं लूंगा। मैं यह कह रहा था कि मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है। मैं द्वेष या इस तरह का कोई भाव से प्रभावित होकर नहीं बोल रहा हूं। आप नहीं घबड़ायें। हां, सत्य हमेशा कड़ुआ होता है, कटु होता है,

मगर उससे आप नहीं घबड़ायें। जनतंत्र का तक़ाजा है कि किसी भी सवाल पर विचार-विमर्श हो और मैं जनता का विचार आपके सामने रख रहा हूं। आप इससे सबक लें। इस कार्य को करने में यदि मैं भूल करता हूं आप प्रतिवाद करें। और यदि आप भूल करते हैं तो मेरा फर्ज है कि आपको उसे बतायें। आप इस पर सोचें। अपने को अभी भी सुधारने की कोशिश करें। इतना ही कह कर मैं बैठ जाता हूं।

अध्यक्ष—सभा के सामने जो घड़ी है उसका सेकेन्ड हैंड ठीक से नजर नहीं आता। पहले जो घड़ी थी उससे हम ठीक से देख सकते थे। शायद उस घड़ी को बदल दिया गया है। खैर, अभी तीन बजने में दो-तीन मिनट बाकी है; कुछ वक्त हम लोगों ने बरबाद भी किया है। आज ऐप्रोप्रियेशन बिल को समाप्त भी करना है। इस पर दो दिन तक बहस हो चुकी और आज तीसरा दिन है। हम देख रहे हैं कि सदस्यगण साधारणतः सुखार पर ही बोल रहे हैं। सुखार पर बोलने के लिए आप को बहुत से मौके मिलेंगे। फिर इस वक्त आप क्यों हमें तंग कर रहे हैं? सुखार पर बोलने के लिए आप जितना समय चाहते हैं वह मिल सकता है। इसलिए मैं कहुंगा कि इस बिल पर बोलने के समय आप सुखार पर बोल कर मुझे तंग करने की कोशिश न करें। आप जानते हैं कि कोई भी सदस्य अध्यक्ष को तंग नहीं कर सकता है। फाइनैन्स बिल पर बहस होने के समय आप हमें खासकर तंग नहीं कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव है कि यदि सभा चाहे तो आज साढ़े चार बजे तक बैठें और कोई सदस्य १० मिनट से अधिक समय न लें क्योंकि आज तीसरा दिन है इस बिल का और बहुत से सदस्य बोलना भी चाहते हैं। यदि कोई सदस्य इस नियम का उल्लंघन करेगा तो मैं भी उचित कार्रवाई करूंगा।

(सभा की राय से आज की बैठक साढ़े चार बजे दिन तक बढ़ा दी गई।)

श्री रामानन्द सिंह—अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि इधर और उधर दोनों तरफ के लोग जनतंत्र की दुहाई देते हैं। श्री रामानन्द तिवारी ने अभी जिस गंभीर विषय की तरफ सभा का ध्यान आकृष्ट किया है वह सोचने की बात है। विरोधी दल को ही नहीं बल्कि सरकारी दल को इसके बारे में खूब सोचना चाहिए।

अध्यक्ष—मैं रेकर्ड से देख रहा हूं कि श्री रामानन्द सिंह मांग संख्या ३२, ३३, ६५, ६७ और ७० पर बोल चुके हैं पिछले दो दिन में जब मैं यहां नहीं था।

श्री रामानन्द सिंह—मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि एम० एल० सी० से जो डिप्टी मिनिस्टर्स लिए गए हैं उससे इस सभा का ही अपमान हुआ है, जबकि जनता के चुने हुए लोग यहां मौजूद थे।

श्री विनोदानन्द झा—अध्यक्ष महोदय, जब डिप्टी मिनिस्टर्स के बारे में सारी व्यवस्था इस सभा से पास किए हुए क़ानून के मुताबिक हुआ है और जब उनका सैलरी इस सभा के पास किए हुए सैलरी ऐक्ट से गवर्न होता है तो ऐसा कहना कि उनकी नियुक्ति से इस सभा का अपमान हुआ है, अनुचित है।

अध्यक्ष—ठीक है आपने स्वयं ही उस कानून को बनाया है और अभी ऐसा कहते हैं।

श्री रामानन्द सिंह—इस सभा ने उस कानून को बनाया है। यह बात ठीक है। यह सभा ऐसा कानून को तोड़ भी सकती है।

अध्यक्ष—जब तक उस कानून को नहीं तोड़ा जाता है तब तक आपको...... ।

Shri RAM CHARITRA SINHA : Sir, I want to point out.....

SPEAKER : I do not like to be pointed out in this manner. The hon'ble member knows that when the Chair speaks other hon'ble members should not stand up and try to speak. The hon'ble member may take his time later on, but he must take his seat now.

Shri RAM CHARITRA SINHA : I wanted to know if the Chair is speaking. If it is so I am taking my seat.

अध्यक्ष—श्री रामानन्द सिंह को जानना चाहिए कि सभा में जो कानून बन गये हैं उसके खिलाफ वे नहीं बोल सकते हैं। अगर उसके खिलाफ उन्हें बोलना है तो इसके लिए वे प्रस्ताव लायें, संकल्प लायें और दूसरी तरह की उचित कार्रवाई करें।

श्री रामानन्द सिंह—हुजूर, मेरा मतलब था कि हाउस को इसमें संशोधन करना चाहिए।

अध्यक्ष—नहीं, इसका यह मौका नहीं है।

श्री रामानन्द सिंह—खैर, अध्यक्ष महोदय, मैं एक दूसरी चीज आपके सामने रखना चाहता हूं वह है मिनिस्टरों का डिसक्रिशनरी ग्रांट। नये बजट में ५० हजार रुपए की मांग और की गई है और सरकार चाहती है कि इस नयी मांग की स्वीकृति सदन दे दे और इस पर मोहर लगा दे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि ये रुपए कहां खर्च होते हैं और कैसे खर्च होते हैं। अगर हिसाब-किताब लगाकर देखा जाय तो अधिकतर यही पाया जायगा कि ये रुपए मिनिस्टरों के कांस्टि-ट्यूएन्सी में खर्च होते हैं। जनता का रुपया इस तरह खर्च किया जाय यह दुख की बात है। अगर खर्च करना है तो मेरे ख्याल में इसके लिए एक कमिटी होनी चाहिए थी।

अध्यक्ष—मैं यह जानना चाहता हूं कि आज के पहले डिसक्रिशनरी ग्रांट के बारे में बहस के दौरान में बातें हुई हैं या नहीं।

श्री रामानन्द सिंह—नहीं, डिसक्रिशनरी ग्रांट के बारे में बातें नहीं हुई हैं।

अध्यक्ष—अगर ऐसा है तो आप बोल सकते हैं।

श्री रामानन्द सिंह—हुजूर, मैं यह कह रहा था कि डिसक्रिशनरी ग्रांट ऐसी चीज है जो किसी खास आदमी के लिए ही नहीं है। लेकिन यह सिर्फ फेवरिट्स को ही मिल रही है। इसलिए मैं अदब के साथ कहूंगा कि आज जबकि प्रांत की यह हालत है तो यह ५० हजार की रकम और नहीं बढ़ायी जाय और सदन इसे अस्वीकृत कर दे।

अध्यक्ष—आप यह साबित करें कि डिसक्रिशनरी ग्रांट देना गलत कैसे है। कोई उदाहरण आप दें कि किस मिनिस्टर ने किस आदमी को गलत तरीके से रुपया दिया है।

श्री रामानन्द सिंह—इस तरह का उदाहरण देना मेरे लिए मुश्किल होगी।

अध्यक्ष—तो इस तरह की व्यापक बात आप क्यों कहते हैं?

श्री रामानन्द सिंह—खैर, मैं अब फेमिन के बारे में कहना चाहता हूं और इस अवसर पर मुझे एक बात याद आती है कि विश्वामित्र जो हमारे यहां एक बहुत बड़े कवि थे उन्होंने भी भूख में डोम के घर में कच्चा मांस खा लिया था। मैं समझता हूं कि कहीं आज की तरह उस समय व्यवस्था होती तो उनकी भी १०७ और ३८० दफा के मातहत सजा हो जाती और पुलिस के जरिए हाजिरी हो जाती। अध्यक्ष महोदय, आज ऐसी हालत प्रांत की हो रही है, लोग तड़प रहे हैं फिर भी सरकार उतनी सचेत नहीं है। मैं किन शब्दों में फेमीन की दशा की व्याख्या करूं; मेरे पास उपयुक्त शब्द नहीं मिलते। हालत बहुत ही नाजुक है लेकिन सरकार बराबर इसे नजरअन्दाज करती आई है। अध्यक्ष महोदय, मैं उस इलाके से आया हूं जो धान के लिए अपना नाम रखता था। हाल में हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब भी वहां गये थे। उन्होंने भी यह आंकड़ा दिया है कि वहां ३०, ४० मन प्रति एकड़ धान होता था वहां अब केवल ५, ६ मन प्रति एकड़ धान होने की संभावना है। वहां की हालत सुधारी जा सकती है अगर बागमती नदी में सुधार करके काम लिया जाय। बागमती स्कीम केवल ४ करोड़ की स्कीम है लेकिन इससे करोड़ों रुपये की आमदनी हो सकती है। लेकिन सरकार इस काम को नहीं करके दूसरा-दूसरा काम कर रही है जो सरकार के लिए शोभा नहीं है।

दूसरी बात रिलीफ के काम के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में एस० डी० ओ० तथा कलक्टर ५, १० वर्षों के तजुर्बेकार लोग रखे जाते थे जो इस काम को करते थे लेकिन देखने में आता है कि आज केवल एक दो वर्षों के आई० ए० एस० रिलीफ मेजर के लिए रखे जाते हैं। मैं उनकी ईमानदारी पर शक नहीं करता बल्कि मेरा मतलब यह है कि उन्हें इसका तजुर्बा नहीं है कि किस ढंग से इस काम को चलाया जाय। अकाल के कारण लॉ एंड ऑर्डर अगर कहीं डिसटर्ब हुआ तो इसे भी उन्हीं को संभालना है सो इसके लिए सरकार उन्हें छोड़ दे और रिलीफ का बटवारा दूसरे जरिए से कराया जाय तो यह एक सुन्दर बात होगी।

श्री कार्यानन्द शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो-चार बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि अभी जो बहस हो रही है, अभी आम रूप से कहा जाता है कि हमारे यहां डिप्टी मिनिस्टरों की नयी बहाली हुई है, उनकी संख्या बढ़ी है मैं समझता हूं, यह कहने की जरूरत नहीं है। मुझे इसकी शिकायत नहीं है कि उनकी संख्या बढ़ी बल्कि मुझे तो इस बात की शिकायत है कि इनके बढ़ने से ऐडमिनिस्ट्रेशन में एफिसिएंसी नहीं आई है। मैं समझता हूं कि यदि पुराने रवैये को छोड़कर नये तरीके से लोग काम करेंगे तो प्रगति अवश्य होगी, तत्परता अवश्य आयगी और शासन अच्छी तरह चलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि मैंने एक पत्र एक बार मुख्य मंत्री को लिखा। उस पत्र के लिखने के दो-तीन महीने के बाद भी उनके आफिस से मुझे जवाब तो नहीं मिला लेकिन पत्र के अकनालेजमेंट मिलने में भी ३३ दिन लगे। फिर मैंने मुख्य मंत्री को लिखा कि जब आपके ऑफिस की यह हालत है कि ३३ दिन अकनालेजमेंट मिलने में लग जाता है तो जवाब पाने के लिए कितना धैर्य रखना होगा। फिर भी उस पत्र का जवाब तो अभी तक नहीं मिला लेकिन इस बार खुद श्री बाबू ने अपना दस्तखत करके उस चिट्ठी का अकनालेजमेंट भेजा। इसके बाद भी तीन महीने बीत गए पर जवाब न मिल सका। उस पत्र में कोई विशेष बात नहीं थी, कोई पौलिसी की बात नहीं थी। मैंने उस पत्र में उनसे केवल यही पूछा था कि एक सज्जन ने कॉलेज के लिए एक लाख रुपया पंडित जवाहर लाल जी के हाथों में दिया था जिस रुपए को उन्होंने श्री बाबू को भेज दिया था। उसी बात को जानने के लिए मैंने जून, १९५७ के सेशन में सवाल पूछा था, यह दूसरा सेशन चल रहा है लेकिन अभी तक उसका उत्तर नहीं मिल सका। आज मांग है कि उनके यहां एक असिस्टेंट सेक्रेटरी बढ़ाया जाय। मैं कहता हूं कि कितने ही पद क्यों न बढ़ाए जायं लेकिन सवाल है कि यह काम दिमाग का है। अगर आप महसूस करते हैं कि इस काम को करना चाहिए, इस बात का जवाब देना चाहिए तो मैं समझता हूं कि उसमें देर नहीं हो सकती है। मालूम होता है कि हमलोग जो पूछते हैं उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है, वे लोग समझते हैं कि हमलोगों की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। यही समस्या प्रश्नों की है। अभी एक अल्प-सूचित प्रश्न देने के लिए मैं राजस्व मंत्री के पास गया तो उन्होंने बताया कि पहले के ही २५० अल्पसूचित प्रश्न उनके यहां पड़े हुए हैं, जिनका जवाब नहीं दे पाए हैं और इस अधिवेशन में देना है। प्रश्नों के मारफत जो चीजें हमलोग पूछते हैं और जिस चीज की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं, अगर वे प्रश्न खटाई में पड़े रहें और इसके जवाब देने की परवाह न की जाय तो मैं पूछता हूं कि सदस्यों के प्रश्न पूछने का जो हक है उसका क्या होगा। सवाल यह नहीं है कि कितना आदमी रखते हैं और कितना खर्च करते हैं बल्कि बात यह है कि सदस्यों का जो हक है उसकी रक्षा कैसे की जाय। मैं आपसे कहनेवाला था कि यह एक ऐसा सवाल है जिस पर आपके मारफत सरकार से तो निवेदन करता ही हूं, आपके मारफत सदन से भी अपील करना चाहता हूं कि उनलोगों को इस बात पर गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसको अछूता नहीं छोड़ा जा सकता है। इन बातों को कहने के बाद मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि मुंगेर जिले में अभी निम्न किऊल नहर का निर्माण किया जा रहा है। उसका एक हिस्सा किऊल नदी के पूरब में है, जिसका संबंध लक्खीसराय से है। यह काम बहुत छोटा था। पूछने पर पता यह चला कि वहां के जो काम करानेवाले

इंजीनियर हैं काम में ढिलाई करते हैं, कहीं कंकरीली मिट्टी निकल गयी तो उसका रेट तय करने में देर की गयी तो कहीं पानी निकल गया तो उसके निकलवाने का इन्तजाम शीघ्र नहीं कर सके इससे काम में विलम्ब हो रहा है। किउल के पच्छिम हिस्से में पटवन का इस वर्ष थोड़ा इन्तजाम हुआ। मैं इस संबंध में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मैं केवल यह चाहता हूं कि पटवन के मंत्री महोदय इस बात का ध्यान रखें और फौरन काम आरंभ करने का प्रबंध करें। मैं समझता हूं कि वह एक ऐसा इलाका है जहां बिल्कुल सुखार हो गया है और लोगों को भूखों मरना पड़ रहा है। सुखार के वक्त बोलते हुए मैंने बताया था कि इस पर तुरत काम आरंभ कर देने की जरूरत है पर अभी तक काम आरंभ नहीं हो सका है। इसलिए फिर भी सिंचाई मंत्री का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं। पिछले अधिवेशन में भी शेखपुरा के ब्लौक डेवलपमेंट अफसर के बारे में मैंने चर्चा की थी, मैंने उनके बारे में सवाल किया था पर अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका। मैंने उस समय बताया था कि किस तरह से वहां संस्थाओं की सहायता में नगद रुपए की रसीद लिखा कर रुपये की जगह खास एजेंसियों से किताबें दिलायी जाती हैं। जो किताबें साढ़े ३३ प्रतिशत कमीशन पर अजन्ता प्रेस से मिल जाती हैं उसके लिये वहां १२ प्रतिशत कमीशन ही दी जाती है। मैं उस क्षेत्र में गया था, मैंने देखा कि वहां के लोगों की शिकायत की सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास, मुख्य मंत्री के पास दर्खास्त दी है। जब सुनवायी नहीं हुई तब उन चार्जों के संबंध में नोटिस छपायी गयी। वह नोटिस बाहर में बांटी जा रही है। खास कर विकास के डिप्टी मिनिस्टर का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसकी जांच होनी चाहिए। अगर जांच नहीं करते हैं तो शिकायत होती है, आपकी बदनामी होती है।

मैं दो बातों को और कह कर अपना भाषण खत्म कर दूंगा। सभी लोग महसूस करते हैं कि पटवन का इन्तजाम ठीक से नहीं हुआ है और यह भी महसूस किया जाता है कि पटवन का जहां इन्तजाम है वहां रेट ज्यादा है, इसीलिए सरकार ने सुखार के वक्त रेट कमा दिया है। मैं मंत्रिमंडल के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या वे यह नहीं महसूस करते हैं कि उन्होंने जो रेट बढ़ा कर दुगुना, तिगुना और चौगुना कर दिया था वह गलत था और उससे लोगों की हानि हुई है। अब हमारे पुराने सिंचाई मंत्री जिन्होंने पटवन रेट की बढ़ती की थी नहीं हैं। नये सिंचाई मंत्री के सामने कोई बाधा नहीं है। उन्हें चाहिये कि वे इस ओर उचित कदम बढ़ायें। वह पटवन के रेट को कम करें। पुराने मंत्री को बाधा हो सकती थी कि अपने ही औडर को कैसे रद्द करें। इसलिए मेरा कहना है कि पटवन के रेट में काफी कमी होनी चाहिए और केवल अभी के लिए नहीं बल्कि सदा के लिए होनी चाहिए।

अब मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि सूखे की शिकायत यहां जो की जा रही है और मिनिस्टरों की ओर से जो आश्वासन दिया जा रहा है उसकी कीमत बाहर में दिखाई नहीं पड़ती है। हमने राजस्व मंत्री जी के मुंह से यहां पर सुना कि मुंगेर जिले के लिए उन्होंने वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां हार्ड मैनुअल लेबर के नाम पर ४ लाख रुपया दिया है। लेकिन जब मैं वहां पता लगाने जाता हूं तो पता चलता है कि अभी तक वहां पर हार्ड मैनुअल लेबर के लिये रुपया नहीं भेजा गया है। तब क्या हमलोग समझें कि वहां जो मंत्री महोदय बोलते हैं वह सिर्फ बोलने ही तक है उसके अनुसार काम नहीं होता है ?

अध्यक्ष—एक-एक लब्ज वहां लिखा जाता है और उसके बाद छपता है।

श्री कार्यानन्द शर्मा—छपेगा शायद नौ महीने के बाद और जो कुछ यहां कहा जाता है उसके अनुसार काम नहीं होता है। जब मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहता हूं कि मंत्री जी ने ऐसा कहा है तो वह कहता है कि मंत्री जी तो सब कुछ कहते हैं परन्तु हमारे पास रुपया नहीं है। बात समझ में नहीं आती है इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार जो कुछ कहती है उसे प्रभावित रूप में स्टेटमेंट प्रकाशित कर दें। सरकार यहां है और इनके काम करनेवाले हाथ, पैर, आंख आदि वहां हैं इसलिये हम समझते हैं कि अकाल के संबंध में जो काम हो रहा है वह तेजी के साथ नहीं हो रहा है। मैं इस माने में कहता हूं कि जहां सचमुच जरूरत है वहां काम नहीं हो रहा है। मीटिंग रोज हाकिम लोग करते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वह जो कुछ यहां कहती है उसे कार्य रूप में परिणत कर दिखावे।

श्री सरन बालमुच—अध्यक्ष महोदय, मैं अपने जिले के बारे में कुछ आपके सामने कहना चाहता हूं जो बहुत दर्दनाक है। सिंहभूम जिला में हमारे जंगल विभाग के मंत्री महोदय गये थे और वहां हमलोग ३, ४ एम०एल०ए० उनसे मिले। मंत्री महोदय से मिलकर हमलोगों ने जंगल विभाग के अफसरों के जुल्म के विषय में कहा कि ये लोग इस तरह से जंगल के रहनेवाले लोगों के साथ अन्याय करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे क्या बताऊं ये जंगल विभाग के अफसर वहां की स्त्रियों को भी बेइज्जत करते हैं। हमारे जंगल विभाग के मंत्री महोदय ने अपने भाषण में उन्हें चेतावनी दी परन्तु फिर एक सप्ताह के बाद जब मैं जंगल के किनारे से जा रहा था तो गांव के कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया और एक बूढ़ा ने कहा कि १४ अक्टूबर को दो फौरेस्ट गार्ड ने एक लड़की को बेइज्जत किया है। सब लोग ने उस लड़की को मेरे पास लाया, उससे पूछताछ करने पर पता चला कि वह वहां पर दतुवन तोड़ने के लिये गई हुई थी, उसी समय दोनों फौरेस्ट गार्ड ने उस पर बलात्कार किया।

अध्यक्ष महोदय, जब मैं घर आया तो मुझे यह खबर मिली कि चाईबासा के डी० एफ० ओ० ने वहां के एक फौरेस्ट गार्ड की स्त्री का हाथ जंगल में जबकि वह स्त्री किसी काम से वहां गयी हुई थी पकड़ लिया। यह बहुत बुरी बात है, ऐसा होना नहीं चाहिये। इस घटना की मुझे तिथि याद नहीं है लेकिन इतना जरूर याद है कि यह घटना जुलाई के महीने में घटी थी। उस क्षेत्र के एम० पी० और एम० एल० ए० जो हैं उनसे इस संबंध में बातें हुई। हमने उस स्त्री को बुलाया और इस घटना की बात पूछी। उसने उत्तर दिया कि डी० एफ० ओ० साहब की यही हालत है। उस स्त्री ने स्वीकार किया कि डी० एफ० ओ० साहब ने मेरा हाथ पकड़ा था। जब इस बात की चर्चा होने लगी तो उस डी० एफ० ओ० साहब ने एफ० जी० को वहां से बदल दिया। अध्यक्ष महोदय, सरकार का ध्यान मैं इस ओर भी लाना चाहता हूं कि काम जो अफसर जंगलों में किया करते हैं वे वहां की जनता पर बेजा जुल्म करते रहते हैं। उन लोगों के हाथ में अधिकार रहने के कारण वे कानून का पालन नहीं करते हैं बल्कि तरह-तरह की नजायज बात करके वहां के लोगों को तंग किया करते हैं। जब एफ० आई० आर० करने के लिये कोई किसान कचहरी

जाता है तो उसको वे लोग उनके रास्ते में तरह-तरह की कठिनाइयां उत्पन्न करके उन गरीब किसानों को कचहरी दौड़ाया करते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह हमारे एलाके की ओर अपना ध्यान दे और वहां की बुराइयां दूर करने की चेष्टा करे। मैं इतना ही कह कर अब बैठ जाता हूं।

श्री रामकृष्ण राम—अध्यक्ष महोदय, मैं जिस जिला से आया हूं वह पलामू है, वह बहुत ही गरीब और छोटा जिला है। वहां एक बलेर नदी है जिसपर एक नहर बनाया गया है, वह ऐसा नहर है कि उस पर से आदमी भी ठीक तरीके से नहीं चल सकता है, तो उसपर मोटर गाड़ी कैसे चल सकती है। इस नहर पर करीब ६ लाख रुपया खर्च किया गया है। लेकिन वहां की जनता को कोई लाभ नहीं होता है। कहा गया था कि ६५ हजार एकड़ जमीन को पटाने की बात थी लेकिन आज मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उससे कितने एकड़ जमीन की सिंचाई हुई है। वहां ओवरसियर ने एक कमिटी बनायी लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि उस हिसाब से जो तय हुआ था ओवरसियर ने भी कुछ पानी का बंटवारा नहीं किया। इस तरह से हजारों हजार एकड़ जमीन को नुकसान हुआ और उसमें पानी नहीं पट सका। अच्छी जमीन जो नहर के लिये किसानों की ली गई थी उसका मुआवजा किसानों को अभी तक नहीं मिला है, अगर नहर नहीं रहता तो वे अपनी जमीन कुआं और रहट से पटाते। लेकिन नहर के भरोसे व इसे भी नहीं कर पाते हैं। हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब एक बार वहां गये हुए थे, केवल पांच मिनट के लिये। मुझे मालूम हुआ कि डिप्टी मिनिस्टर साहब आये हुए हैं। मैं साइकल से डाकबंगला पहुंचा लेकिन पता चला कि वे पांच मिनट ठहर कर चले गये।

श्री अम्बिका शरण सिंह—किस थाने की बात माननीय सदस्य कह रहे हैं?

श्री रामकृष्ण राम—हरिहरगंज थाने के विषय में कह रहा हूं।

श्री अम्बिका शरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने हरिहरगंज थाने की बातें कही हैं। उसके विषय में कुछ कह देना आवश्यक समझता हूं। हरिहरगंज थाने में मैं स्वयं गया था और जितने लोग आये थे उन सबों से बातें मैंने कीं और जब कोई नहीं रह गया तब मैं चला गया। डिप्टी कमिश्नर को सख्त ताकीद कर दी गई थी कि एम० एल० ए० को इसकी सूचना दे दी जाय कि डिप्टी मिनिस्टर टूर पर आ रहे हैं। किसी कारणवश माननीय सदस्य को सूचना न मिली होगी और उनसे मेरी मुलाकात न हुई होगी। मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर वे कुछ सुझाव दें तो उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा।

अध्यक्ष—अगर आपको कोई सुझाव देना है तो लिख कर भी दे दे सकते हैं और जैसा कि डिप्टी मिनिस्टर ने आश्वासन दिया है उसे पूरा करने की कोशिश की जायगी। उन्होंने वादा किया है।

श्री रामकृष्ण राम—मैं अभी कुछ कह देना चाहता हूं लेकिन फिर लिखकर दूंगा। नहर की मरम्मत के लिये रुपया नहीं है। उसे सैंक्शन कर दिया जाये ताकि ६,००० एकड़ जमीन की सिंचाई हो सके।

श्री शालिग्राम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, गत अक्टूबर महीने की बात है। जब सुखार देखने के लिए हर जगह डिपुटी मिनिस्टर साहब घूम रहे थे तो हमारे हजारीबाग जिले में राजस्व विभाग के भी एक डिपुटी मिनिस्टर श्री राधागोविन्द प्रसाद दौरा करने गये थे। वे ४ अक्टबर को हुंटरगंज थाने में पहुंचे परन्तु मुझे इसकी कोई सूचना नहीं मिली। और हजारीबाग जिले के जितने भी एम० एल० ए० हैं उनको दौरा की सूचना नहीं थी। वे कांग्रेस ऑफिस में गये और उन्होंने कांग्रेस ऑफिस के लोगों से बातें कीं और यह कहा कि सारे जिले में सुखार हो गया है और सूखा हो जाने के कारण सरकार बहुत कुछ रिलीफ मेजर काम में लाने जा रही है। इसलिए तुमलोग इस काम का प्रचार करो कि सरकार बहुत कुछ करने जा रही है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो विरोधी दल वाले इसका फायदा उठावेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब सरकार की ओर से कोई भी मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर जाय तो इसकी सूचना हम प्रतिनिधियों को मिलना चाहिये ताकि हमलोग इलाके के सही रिपोर्ट दे सकें।

अध्यक्ष—मालूम होता है कि डिपुटी स्पीकर और डिपुटी मिनिस्टर इकट्ठे हो जायं तो काम चलाना कठिन हो जाता है।

Shri PRABHU NATH SINGH : I know my responsibility. I may inform the Speaker that I was not talking to anybody.

SPEAKER : May I know whether you are on your seat ?

Shri PRABHU NATH SINGH : It is not necessary to remain present on one's own seat but it is necessary only to remain present on the seat when the member is speaking. At the same time there is also difficulty with me as my seat is just on the left side of Badri Babu which is being occupied by him.

SPEAKER : No more talk please. The Deputy Speaker is not the Deputy Speaker now.

श्री शालिग्राम सिंह—तो मैं कह रहा था कि डिपुटी मिनिस्टर प्रचार के लिए जाते हैं। जनहित के लिए नहीं जाते हैं। अगर जनहित के लिए जाते तो हमलोग जितने मेम्बर थे उनको बुलाते और उनसे राय-मश्विरा लेते तो जिले का सही-सही रिपोर्ट मिल सकती थी।

अध्यक्ष महोदय, सुखार के सिलसिले में मैं दो-एक बात आपके सामने रख देना चाहता हूं। हमारे यहां के एस० डी० ओ० ने एक मिटिंग बुलाई और उसमें हमलोगों को बुलाया गया और कहा गया कि आपलोग अपने यहां की जहां की नदी या नाले से पानी बहता है उसे बांधने का स्कीम दीजिए। हमलोगों ने कई एक स्कीम दिये। उसमें एक हुंटरगंज थाने के खुंटीकवाल गांव में नदी में कच्चा बांध बांधने का काम आरंभ किया गया। जब वह बांध बांधी गयी तो उसमें पानी जमा हो गया। अगर उसमें ४, ५ सौ रुपया और लगाकर पइन निकाल दिया होता तो सिंचाई हो जाती। और वह बांध नहीं टूटता। लेकिन जब हमने एस० डी० ओ० को कहा कि आप इसमें पइन निकाल दीजिए ताकि पानी निकल जायं तो उन्होंने कहा कि हमको सिर्फ बांध बांधने का हुक्म है। पइन

कैसे निकालें। नतीजा यह हुआ कि बांध टूट गया। एस० डी० ओ० को सोचना चाहिए था कि पानी बांधने से क्या होगा जब तक नाला नहीं निकाला जाता जिससे पटवन हो सके।

अध्यक्ष महोदय, चतरा क्षेत्र में इसी साल सुखार नहीं पढ़ा है बल्कि सन् १९४८ से ही वहां कभी ओला पड़ा, कभी सुखार हुआ। वहां की जमीन ऊंची-नीची है। माइनर स्कीम से वहां सिंचाई का इंतजाम नहीं हो सकता है। वहां छोटी-छोटी जितनी नदियां हैं उनमें बांध बांध कर पानी रोका जाय तो वहां की सिंचाई की समस्या सुलझ सकती है। प्रतापपुर थाने के टंडवा गांव के पास नदी को बांध कर पइन निकालने से उक्त थाने क ५०, ६० गांवों की सिंचाई हो सकती है और उसके बाद वह पानी गया जिले के इमामगंज थाने में जाता और वहां भी सिंचाई होती लेकिन उस स्कीम के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

प्रतापपुर थाने में एक और नदी अमझर है जिसमें बारहों महीने पानी बहता है। उसमें अगर नहर निकाला जाय तो हमारे इलाके के ७०, ८० गांवों की सिंचाई हो सकती है। उसी तरह हंटरगंज थाने के घररी, दुलकी और करमाली नदी स्कीम के बारे में सरकार के पास सुझाव दिया गया था लेकिन आजतक एक भी स्कीम मंजूर नहीं की गयी। एक निरंजना बांध बांधा गया। लेकिन हमलोगों ने कहा था कि अगर वह बांध ४ मील हट कर आगे बांधा जाय तो हंटरगंज थाने के ४०-५० गांवों की ज्यादा सिंचाई हो सकती थी।

उसी निरंजना बांध जहां बांधा गया है हंटरगंज थाने के पिंडराकला पचास एकड़ जमीन किसानों की ले ली गयी है और आजतक उस जमीन का न तो मुआवजा दिया गया है और न जमीन के बदले जमीन। किसानों की वह जमीन पहले दर्जे के धान की खेत थी लेकिन उसको नहर के लिये ले लिया गया वहां के किसानों ने सरकार से मांग कर रहे हैं कि जमीन के बदले हमें जमीन मिल लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जंगल विभाग के बारे में मैंने एक कटौती का प्रस्ताव दिया था और हमने जंगल विभाग के मंत्री से कहा था कि जंगल विभाग की ओर से जो सड़कें बनायी जाती हैं..............

अध्यक्ष—वह मांग सदन ने पास कर दिया है। उसक बारे में आप बोल चुके हैं। अब उसक बारे में आपको बोलने की आज्ञा नहीं दी जा सकती।

श्री शालिग्राम सिंह—मैं तकावी कर्ज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे इलाके में लोग दो महीने से तकावी कर्ज के लिये दरखास्त दे रहे हैं लेकिन कर्ज उन्हें नहीं मिल रहा है। हंटरगंज थाने में सप्ताह में तीन रोज १० बजे से १ बजे तक कर्ज की दरखास्त ली जाती है। प्रतापपुर थाने के बहुत से गांव जो वहां से ४०.४१ मील दूर है। यदि वहां से आने में किसी को एक मिनट भी देरी होती है तो उनकी दरखास्त नहीं ली जाती है। आज जब कोई कर्ज मांगने जाता है तो अंचलाधिकारी सबसे पहले पूछते हैं कि तुमने इस वर्ष की मालगुजारी दी है या नहीं। यदि किसान इस वर्ष की मालगुजारी नहीं दिये रहते हैं तो उन्हें कर्ज नहीं दिया जाता है यहां तक कि उसकी दरखास्त भी नहीं ली जाती है। झिकटिया के लोगों ने भी कर्ज के लिये दरखास्त दी थी लेकिन वहां के लोगों को बुझारत नहीं हुआ था इसलिये अंचलाधिकारी ने उनलोगों को कर्ज नहीं दिया, हालांकि उनकी जमीन बकाश्त है और उसी पर कर्ज भी लेना चाहते थे। इस तरह की परेशानी आजकल लोगों को कर्ज मिलने में झेलनी

पड़ रही है। चतरा अंचल के चतरा गांव में एक किसान के नाम एक रैयती तालाव था लेकिन उस तालाव को भी चतरा के अंचलाधिकारी ने बन्दोवस्त कर दिया। उस किसान ने इसका उज्रदारी चतरा रेवेन्यू एस० डी० ओ० से किया और उसके बारे में वहां के रेवेन्यू एस० डी० ओ० से रिपोर्ट मांगा गया तो उन्होंने भी रिपोर्ट किया कि यह उस किसान का रैयती तालाब है। फिर भी आज छः महीने हो गये और वह तालाव उस किसान को नहीं लौटाया गया है।

*श्री प्रीतम कुजुर—अध्यक्ष महोदय, आज सदन में ऐप्रोप्रिएशन बिल पर जो बहस

चल रही है मैं भी उसीपर कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहले मैं जंगल के बारे में कहना चाहता हूं क्योंकि मैं उसी इलाके से आता हूं। आज जंगल विभाग के एफौरेस्टेशन पर इतना रुपया खर्च किया जा रहा है लेकिन हमारे यहां जो नेचरल फारेस्ट थे उसको ठीका लगा लगाकर आपने बरबाद कर दिया है। जंगल हमलोगों का नेचरल रीजरभोआएर है। इसी के चलते हमलोगों के यहां काफी वारिस होती थी और हमलोगों को सिंचाई की उतनी जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब से जंगल बरबाद हो गया है तबसे हमेशे हमलोगों को सूखे का सामना करना पड़ता है। हाल ही की बात है कि वहां फारेस्ट गार्ड और रेंजर के रहते ही चोरी हुई। इसकी खबर कंजरवेटर और डी० एफ० ओ० को लिखकर दिया गया और एक ट्रक से ऊपर लकड़ी जप्त भी हुई। मेरा कहना है कि जब सब कर्मचारियों के रहते चोरी होती है तो इसका माने क्या है? मैं तो समझता हूं कि ये सब गड़बड़ी उन्हीं लोगों के चलते होती रहती है। आपके जो कर्मचारी हैं, सर्किल अफसर हैं, इंस्पेक्टर हैं ये सब ठीक से काम नहीं करते हैं।

वहां पर माइनर इरीगेशन स्कीम के अंदर जित भी बांध और तालाव खोदे गये हैं वे सब बेकार हैं। उनसे लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। गंगुपाड़ा और चम्पापड़ा के बीच एक बांध बांधा गया है। सर्किल अफसर और ओवरसियर ने लोगों से ठेपा लेकर के उसे खुदवाया है लेकिन वहां के गांव वालों से इजाजत नहीं ली गयी है। इसपर पांच हजार रुपया खर्च किया गया है। इससे लोगों के लाभ के बदले नुकशानी ही हो रही है। इसके लिये मैंने क्वेश्चन भी पूछा था। इस बांध के चलते लोगों पर आज सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। किसी को १५०, किसी को १८० तथा किसी को २०० पये का सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। अभी किसान रुपया देने से लाचार हैं तो उनके बैल, वकरी तथा पाड़ें जप्त किये जा रहे हैं। विआरा मौजे में एक ही नदी में पांच जगह बांध बांधे गये हैं लेकिन उसमें इरीगेशन डिपार्टमेंट वाले की तरफ से तरह-तरह के अड़ंगा लगाये जा रहे हैं जिससे वह पूरा नहीं हो रहा है। इसी तरह से चीरो में ४१.४२ मील पर पी० डब्लू डी० की सड़क पड़ जाती है जिसे उस विभाग के कर्मचारी नहीं काटने देते हैं और इसी के चलते वह बांध भी पड़ा हुआ है। इसके लिये १९५१-५२ में ही दरखास्त दी गयी थी। न जाने वहां पर सड़क काटने से सरकार को कौन-सी क्षति हो जायगी जब कि सड़क कटने पर पुल भी वहां पर बनाया जा सकता था।

बांध के लिए दरखास्त दी गयी लेकिन वह अभीतक पूरा नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि जो अफसर इसमें हैं उनको जब तक १० परसेंट रुपया मिलता नहीं है तब तक बांध के लिए पया देते नहीं हैं। असल सवाल यह है कि जहां बांध होना चाहिए वहां तो बांध देते नहीं हैं और जहां नहीं होना चाहिए वहां देते हैं। बस इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूं।

श्री योगेन्द्र प्रसाद—अध्यक्ष महोदय, मैं इस सप्लीमेंटरी बजेट में जो रुपया खर्च करने के लिए देने की बात है उसका विरोध करता हूं और इसीलिए कुछ कहना आवश्यक समझता हूं। मैं देखता हूँ कि इस सदन में अधिक सदस्यों ने डिप्टी मिनिस्टर की बहाली पर आपत्ति की है। मैं यह नहीं समझता कि डिप्टी मिनिस्टर अनावश्यक हैं, लेकिन सरकार की कुछ कमजोरियों की ओर मैं सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उसी सिलसिले में उनके नाम पर जो रकम दी गई है उसकी स्वीकृति पर विरोध करता हूं।

अध्यक्ष—नहीं, इस पर बोला जा चुका है। इस पर आपको कुछ नहीं कहना है।

रूल में है:

"The debate on an Appropriation Bill shall be restricted to matters of public importance or administrative policy implied in the grants covered by the Bill which have not already been raised while the relevant demands for grants were under discussion".

श्री योगेन्द्र प्रसाद—जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में जो बातें हैं उन्हीं के संबंध में मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं चूंकि स्टेट की जितनी बातें हैं सभी का संबंध मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर से है और कोई बात है जिससे कोई डिप्टी मिनिस्टर संबंधित है तो मैं उस बात को यहां रखना उचित समझता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर की जो रवैया रही है चम्पारण में अभी ......

अध्यक्ष—रवैया का क्या मतलब?

श्री योगेन्द्र प्रसाद—रवैया का मतलब उनके ऐक्टीव्हीटी से है।

अध्यक्ष—आप उनके कार्य पर कुछ कहना चाहते हैं।

श्री योगेन्द्र प्रसाद—जी हां। चम्पारण जिले के शिकारपुर थाने के भंगौना गांव में एक विशेष क्लास के लोगों ने हरिजनों पर दिन दहाड़े गोली चलाई और एक की मृत्यु भी हो गई। विरोधी दल का खास कर कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि डिप्टी मिनिस्टर की कोशिश से वह फाइल दबा दी गई ऐसा एक पत्रों में भी निकला और मुझे भी आश्चर्य होता है कि सचमुच पुलिस अफसरों को क्या हो गया कि अभी तक किसी भी आदमी पर केस नहीं चला। इसकी जांच सरकार को करनी चाहिए।

अध्यक्ष—आपने इस घटना पर कोई प्रश्न पूछा था?

श्री योगेन्द्र प्रसाद—जी हां। लेकिन वह स्टार्ड क्वेशचन हो गया है और अभी तक उसका जवाब नहीं मिला है। दूसरी बात है गत शनिवार की। किस तरह मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं इस चीज को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मोतिहारी एक प्रमख डिप्टी मिनिस्टर पलेन से खुद गए और बी०

पी० सी० सी० के जेनरल सेक्रेटरी को लेते गए और एक और खास आदमी भी थे। कांग्रेसी मंत्री वहां राजनीतिक गुटबंदी करने गये क्या ऐसा संदेह नहीं होता? यह पद का दुरुपयोग नहीं है तो और क्या है? मैंने एक अल्प सूचित प्रश्न देने के लिए मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने अपने डिप्टी मिनिस्टर साहब को दे दिया। आज पांच, ६ दिन हो गए लेकिन मैंने पत्र जो लिखा उसका कोई उत्तर नहीं मिला। पता नहीं वह चिट्ठी कहीं उनके पाकेट से ही गायब तो नहीं हो गई।

रिलीफ के नाम पर इतनी धांधली और गड़बड़ी हुई है कि एक ही दृष्टांत उसके लिए काफी है। पिछले सालों का हमारा अनुभव है कि किस तरह से पद का दुरुपयोग हुआ है। परसाल की बात है लोग चार-चार दिन तक दौड़ते थे तौभी उनको रुपया नहीं मिलता था। हां रुपया मिलता था जब वे १०० में से ५० रु० चाहे तो अंचल अधिकारी को देते थे तब या किसी खास पार्टी के नेता को देते थे जो उनके लिए कोशिश करता और रुपए दिलाता। पोखरे और कूएं या सड़क जो रिलीफ के नाम पर बने उनमें १०० में ९५ बेकार हैं। पैसे का एकदम दुरुपयोग किया गया है। उनसे कोई फायदा नहीं हुआ है। इसलिए हम इस रकम को देने का समर्थन नहीं करेंगे।

दूसरी बात शिक्षा की कमिटी जो बनी है उनमें पार्टी के नाम पर क्लिक और गुटबंदी करके अपने ही दल के लोगों को रखा गया है और विरोधी पक्ष के लोगों को नहीं लिया गया है। सारन जिले में सिवान के एस० डी० ओ० रूलिंग पार्टी की तरफ से कांग्रेस का मेम्बर बना रहे हैं। ऐसा करते हुए उनको सुना गया है और मैं कहता हूं कि सरकार इसकी जांच करे। इस तरह काम होने से ऐडमिनिस्ट्रेशन किस तरह चलेगा? इसलिए सरकार अगर कहती है कि रुपया की मंजूरी की जाय तो मैं ऐसी मांग का विरोध करता हूं।

एन० ई० एस० के ब्लॉक बने हैं लेकिन वे भलाई का काम क्या करेंगे, उनका काम ऐसा हो रहा है कि लोग कहते हैं कि ब्लॉक के डेव्हलपमेंट अफसर जिनको बी० डी० ओ० कहा जाता है वे दरअसल में वे लोग हैं जो डेव्हलपमेंट को ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक डेव्हलपमेंट नहीं करते। इसलिए यह एक आम बात हो गई है और हर जगह प्रशासन में भ्रष्टाचार फैला हुआ है।

अब मैं आपका ध्यान पब्लिक प्रोसीक्युटर की बहाली की ओर ले जाता हूं। इस बहाली में खुल कर पक्षपात होता है और अपना अपना आदमी को इसमें बहाल किया किया जाता है। जो पार्टी है वह तो अपना वकील रखता है लेकिन उसके साथ ही साथ पी० पी० और ए० पी० पी० भी सरकार की तरह से बहाल होते हैं। इनकी बहाली से किसी का भी काम नहीं होता है। अगर पार्टी को ही रुपया दे दिया जाता कि वह अपने मन से वकील बहाल कर ले तो बहुत ही अच्छा होता और कोई शिकायत न होती। ऐसा होने से न्याय पाने में लोगों को सुविधा हो जाती।

इसके बाद में कुछ रिलीफ कमिटी के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे इलाके में मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर जाते हैं तो हम सदस्यों को इसकी खबर भी नहीं मिलती। वे जाते हैं तो अपनी पार्टी के लोगों को खबर देते हैं और उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह से किस आदमी को मंडल में लिया जाय, किस कन्स्टीच्युएन्सी को कहां पर किस तरह से बांटा जाय कि उनकी पार्टी के चुनाव में सहूलियत हो। हमारे यहां नदी के किनारे के लोगों को नदी से तबाह हुए तीन महीने हो गये लेकिन अभी तक उनको रिलीफ देने का कोई इंतजाम नहीं हुआ है। भुखमरी है, सरकारी गोदाम में अन्न भी

सड़ रहा है लेकिन फिर भी सरकार की ओर से न अभी तक जांच-पड़ताल का ही काम हुआ है और न रिलीफ ही दिया गया है। इस तरह सरकारी रुपये से अन्न खरीद कर सड़ा रहे हैं और लोग भूख से मर रहे हैं। इस तरह से खर्च करने के लिये हमलोगों को एक पैसे के लिये भी स्वीकृति नहीं देनी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

Shri TARA PRASAD BAKSHI : Sir, I would like to point out that every department of Government is suffering from the malady of corruption and inefficiency. If you come to the General Administration, you will find that every section of the Department is full of corruption. There is, I hear, an Anti-Corruption Department but that Department is lying asleep and is not doing any work. You have got so many cases of corruption and there are so many cases of maladministration but nothing is being done in that direction. The Government have decided to implement a scheme of separation of Judiciary and the Executive but it has not yet been fully implemented. If a report is called for from all the districts of the State, it will be apparant that Government are not serious about it. Even in places where the scheme has been implemented, it will be found that all the cases have not been transferred to the file of the Judical Magistrates. I may be allowed to quote for example that the cases under sections 107 and 145 of the Criminal Procedure Code which are quasi judicial proceedings are still being dealt with by the Executive Magistrates with the result that people are harassed, as the Magistrates have no time, although it is quite clear that in all fairness these cases should be dealt with by the Judical Magistrates. The Magistrates entrusted with the disposal of these cases have no time and they only put off the cases from one date to another to the great harassment of the people. You will also find in the general administration of the Bihar Government that in some cases one employee is allowed to remain at one place for years and years. I may quote for instance the Chaukidari Tahasildar of Gola Police Station in the district of Hazaribagh who is there for the last 17 or 20 years. I am told that the question on this point was raised by Shri Rameshwar Prasad Mahta in this House and the reply given by the Government was that Sal Tamami was being done and hence he has to be detained for the present; and even after the question was answered, it is four years back, that the said Tahsildar is still there. He has been able to manage somehow or other to stay there. He has been there for over 19 years. From the above it will be apparent that the Department is entirely inefficient and unable to cope with the situation in the State. In the Secretariat, Sir, you will find that very heavy expenditure is being incurred without any justification as has already been said by Shri Ramanand Tewari. A large sum of money is spent on Khas

Taties and furniture. etc. It will be found that the officers here are supplied very valuable furniture for which a large sum of money is spent. It will be noticed that even before the dawn of independence, the administration used to do with cheaper furniture. It is not known what has made them to do like this.

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति। वह तो अपने-अपने शरीर की बात है। एक साधु धुनी रमा कर रहता है और एक हमलोग हैं जो कम्बल पर कम्बल ओढ़ते हैं लेकिन फिर भी जाड़ा मालूम होता है। सब पर एक बात नहीं लागू होती है।

Shri TARA PRASAD BAKSHI: If you will come to the Revenue Department, you will find that the lot of ex-landlords is most lamentable. I will refer you to an incident of an ex-landlord of Ragho ur in the district of Hazaribagh. He was not paid his full compensation, or a major portion of the compensation but Government has been kind enough to issue a certificate for the realization of the dues and had been further pleased to put him in Civil Jail. His name is Bimla Charan Goswami. He was sent to Civil Jail as he owed some money to the Government but Government owed larger sum to him but the Government put him in jail for non-payment of Government dues. It is really a sad feature.

SPEAKER: Why did he not represent his case before the Government ?

Shri TARA PRASAD BAKSHI: They say that the Government dues must be paid whether you get your dues or not. Instead of considering his case, the Government put him immediately in jail for over a month.

SPEAKER: Why did he not represent to the Minister ?

Shri TARA PRASAD BAKSHI: No Minister was available at Hazaribagh.

You will find, Sir, that all the landlords have not yet been paid the compensation. The fate of these people is simply lamentable.

SPEAKER: No Minister was there. I do not follow its meaning. The Ministers are for all and not for those only who have voted for him.

Shri TARA PRASAD BAKSHI: You will find that illegal exactions are made by the Revenue Department employees. One Circle Inspector of the Revenue Department was posted at Gola in Hazaribagh. He realized from a contractor of the District Board some money for removal of earth but the money was not deposited by him in the Government treasury. The realization itself was illegal and unwarranted by law and then the money was not deposited in the Government coffers.

You ought to have realised it that the money was not comin to Government coffer. I brought this to the notice of the Deputy Commissioner and I was told that proceedings had been started against that fellow, but, Sir, you will be surprised to hear that the fellow is still continuing in the service. He has not been suspended and it is curious that even when a case of gross misappropriation is brought to the notice of the authorities, the guilty person is allowed to continue in the very same job.

Now, Sir, you will find that harassment to the people is going on in the distribution of loans. I will submit, Sir, one case in the village Kumardaga, P. O. Gola, in the district of Hazaribagh. Shri Dharamnath Mahto and Shri Rusan Mahto applied for agriculturist loan and their applications were rejected on frivolous grounds.

Then, Sir, I want to invite your attention to the indiscrimination done by Government in the implementation of the afforestation scheme of the Forest Department. It is hopelessly indiscriminate. While implementing the scheme the authorities concerned have cut off one village from another with the result that a lot of people are undergoing troubles. In the Ramgarh Police-Station there is a forest by the name of Murram. There the Forester himself is a party to the illegal removal of forest products. That forester of Ramgarh allowed one Forest contractor or purchaser to remove illegally a truck-load of valuable timber wood from this forest of Murram. But, Sir, the poor villagers caught him and did not allow the truck-load of valuable timber to be removed by the aforesaid contractor or purchaser. It is needless to say, Sir, that the Forest Department is the epitome of corruption.

Coming to the Development Department, Sir, I respectfully submit that the officers of this Department are not serious in implementing the Five-Year Plans. I want to give one single instance to this effect. I had suggested to the Deputy Commissioner of Hazaribagh a scheme in the district of Hazaribagh on the 29th of April last. That letter was sent to the Subdivisional Officer, who, in his turn, endorsed it to the Anchal Adhikari, Ramgarh. The Anchal Ahdikari, Ramgarh, found it convenient for himself not to go into the details of the scheme and to send a report. He simply slept over the matter till he remained in charge of that Anchal and remained busy in making his own fortune. Therefore, Sir, I say that the entire departments of the Government are hopelessly corrupt, dangeroulsy slow and incorrigibly inefficient.

*श्री कृष्ण माधव प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान और सरकार का ध्यान शिक्षा विभाग की ओर खींचना चाहता हूं। हमारे जिले में शिक्षा की दशा यह है कि प्राथमिक शिक्षा बुरी तरह से पिछड़ी हुई है। कारण यह है

कि वहां के अधीक्षक और चेयरमैन दोनों के अधिकारों की व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर हमलोग अधीक्षक के यहां जाते हैं तो वे कहते हैं कि चेयरमैन के यहां जाओ और चेयरमैन के यहां जाते हैं तो वे कहते हैं कि अधीक्षक महोदय जानें। सवाल यह है कि हमलोग किसके यहां जायं और क्या करें। जितने प्राथमिक स्कूलों के मकान हैं सब करीब-करीब खराब हो चुके हैं और कोई भी मकान ठीक से नहीं चल रहा है इसलिए शिक्षा मंत्री और उप-मंत्री से मुझे यह कहना है कि यदि कोई ऐसा उपाय निकालें जिससे यह खराबी दूर की जा सके और शिक्षा सुचारु रूप से दी जा सके।

दूसरी बात जो मैं पेश करना चाहता हूं वह यह है कि मढ़ौरा डिसपेन्सरी जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधीन थी उसे प्रान्तीयकरण कर लिया गया है। लेकिन प्रान्तीयकरण के साथ डिसपेन्सरी की हालत और भी खराब हो गई है। वहां के मेहतर, वहां के माली हटा लिए गये हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से जो सहायता मिलती थी और रोगियों को डायट मिलता था वह सब खत्म हो गया है। इसके कारण अस्पतालों की दशा बहुत ही बुरी हो गई है। दवा भी नहीं है और न इसके लिए रुपया ही दिया गया है।

अध्यक्ष—सरकार से भी दवा या रुपया नहीं मिलता और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से भी नहीं।

श्री कृष्ण माधव प्रसाद सिंह—जी हां, कहीं से भी रुपये नहीं मिल रहे हैं। वहां अब सिर्फ एक डाक्टर और एक कम्पाउन्डर रह गये हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसकी दशा को सुधारने की कोशिश करें।

तीसरी चीज मैं पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के बारे में कहना चाहता हूं। इस डिपार्टमेंट की ओर से एक गाड़ी हर जिले में दी गई है लेकिन वह क्या काम करती है समझ में नहीं आता। मैं देखता हूं कि विरोधी दलों की ओर से बराबर प्रचार होता है कि यह सरकार अकाल के सम्बन्ध में कुछ नहीं कर रही है और इस परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर उस गाड़ी से यह प्रचार किया जाय कि कांग्रेस सरकार अकाल का सामना करने के लिए सचेष्ट है और उपाय कर रही है तो बहुत काम होता लेकिन ऐसा नहीं होकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के डिसपोजल पर वह गाड़ी इधर-उधर दौड़ती है। वे जहां चाहते हैं ले जाते हैं।

चौथी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में जो अंचल इंसपेक्टर हैं उनकी धांधली यहां तक बढ़ गई है कि वे अब भागे-भागे फिर रहे हैं। लोगों का रुपया उनके पास बाकी निकलता है बहुत लोगों से उन्होंने यह कह कर रुपया लिया था कि काम करा देंगे लेकिन वह काम भी नहीं हुआ। उनका हेडक्वार्टर्स मेरे गांव में है लेकिन वे कभी भी हेडक्वार्टर्स में नहीं रहते। लोग अपना बकाया और रुपया वसूलने के लिए दौड़ रहे हैं, दरखास्त लेकर घूमते रहते हैं लेकिन पता नहीं चलता कि वे कहां हैं। वे हेडक्वार्टर्स छोड़ कर शर्म के मारे भाग गये हैं। अगर आप नाम जानना चाहते हैं तो मैं बतला दूं कि उनका नाम तारणी प्रसाद है। अंचलाधिकारी के पास कितनी शिकायतें की गईं, एस० डी० ओ० के पास भी शिकायतें लिखी गईं, लेकिन न तो उनका ट्रांसफर होता है और न कुछ कैफियत उनसे पूछी जाती है।

अध्यक्ष—आपका समय हो गया, बैठ जायं आप।

*श्री रामदेव सिंह—अध्यक्ष महोदय, अभी हाउस में जो बहस चल रही है इस सिलसिले में हमारे साथी श्री रामानन्द तिवारी ने जो ऐप्रोप्रिएशन बिल का विरोध किया है में उस विरोध के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि आज इस प्रान्त की क्या हालत है, जनता की क्या हालत है, सरकार की क्या हालत है और साथ ही साथ सरकार के कर्मचारियों की क्या हालत है। अगर यही हालत जो आज देखने में आ रही है आगे भी जारी रही तो पता नहीं कि भविष्य में इस प्रान्त का क्या हाल होने वाला है, यह भगवान ही जानता है।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री कपिलदेव सिंह ने फ्लोर क्रास किया।)

अध्यक्ष—माननीय सदस्य को ऐसा नहीं करना चाहिए।

श्री रामदेव सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं यह बतला रहा था कि प्रान्त की जो वर्त्तमान दशा है अगर यही हालत जारी रही और सरकार या सरकार के दूसरे लोग जिन पर प्रान्त की जिम्मेवारी दी गई है उन्होंने अगर जिम्मेवारी के साथ हालत को बदलने की कोशिश नहीं की और यों ही मजाक करते रहे तो सचमुच यहां की जनता की हालत खतरे में इसी तरह पड़ी रह जायगी।

अध्यक्ष महोदय, आज जनतंत्र का नाम लिया जाता है। लेकिन जनतंत्र की दुर्गति जो ट्रेजरी बेंच की ओर से हो रही है इसे हमें बतलाने की जरूरत नहीं है, आज की बात से स्वयं उनका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं कहता हूं कि जनतंत्र केवल उनकी किताबों में है, जनतंत्र उनके नारों में लेकिन उनके व्यवहार में केवल तानासाही बढ़ती जा रही है। यह तानासाही केवल ट्रेजरी बेंच पर बैठने वालों के साथ नहीं बल्कि उनके सभी अधिकारी जो जिलों और सबडिवीजन में रहते हैं जिन्हें कोई मंत्री अपना दायां हाथ कहते हैं, कोई छाती बतलाते हैं, और कोई पैर कहते हैं वे भी पूरी तानासाही कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मजबूर होकर कह रहा हूं कि जिस तरह हथुआ और बेतिया राज्य हुकूमत करते थे उससे इन अधिकारियों की ठाट-बाट, शान-शौकत, रहन-सहन और दिखाव का प्रदर्शन जो यह कर रहे हैं, किसी तरह कम नहीं है। जनता के सामने जब वे वोट मांगने जाते थे तो कहते थे कि हम तुम्हारी सेवा करने के लिए जा रहे हैं लेकिन सेवा करने के नाम पर आज जिस तरह आचरण पेश किया जा रहा है इसके चलते मैं कहता हूं कि हिन्दुस्तान की राजनीति उदासीनता बनती जा रही है और हमारी जनता का विश्वास जनतंत्र से घटता जा रहा है। कारण यह है कि जिले से लेकर यहां तक आप देखें कि जो लोग राजनीति में आये हैं उन लोगों का व्यवहार ऐसा ही रहा है कि जनता समझती है कि राजनीति में काम करने वाले लोग केवल खाने वाले ही लोग हैं। वे अफसरों के बीच बैठ कर खाते-पकाते हैं और जनता के दुःख दर्द से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करूंगा कि जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं यह एक-एक जिले में और एक-एक गांव में पायी जायंगी और तमाम का यही नक्शा है। कुछ दिन पहले जब मैं कांग्रेस में था, आजादी के लिए लड़ाई लड़ता था और जनता पर किसी गांव के किसी कोने में अगर कोई मुसीबत आती थी तो मैं इसमें अपनी जान लगा देता था और मरने को तैयार हो जाता था। अध्यक्ष महोदय, आज आजादी के बाद जो राजनीति बन गई है हम सभी लोग इसके शिकार हो गये हैं और इसकी पूरी जिम्मेवारी ट्रेजरी बेंच पर और उस पर बैठने वालों

के आचरण पर आती है और यह असर जनता पर, हम पर और अफसरों पर भी पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, गांव-गांव की जनता कराह रही है। प्रान्त में केन्द्र से सहायता के रूप में रुपये मिलते हैं, और आप जितना भी चाहें रुपया वहां से मंजूर करा लें, अनाज ले लें लेकिन तौभी इस अनाज और रुपये से प्रान्त की समस्या हल होने वाली नहीं है। आज जो आपकी अफसरशाही है, आपकी कलक्टरशाही है और एस० डी० ओ०-शाही है और जिस रूप में वे काम कर रहे हैं इसके जरिए जनता तक ये चीजें पहुंचने वाली नहीं हैं। आप कुछ भी करें लेकिन उनके चलने का अपना ढंग है, उनका अपना आचरण है और वे दूसरा तरीका अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, आज उप-मंत्री और मंत्री की संख्या आप जनतंत्र के नाम पर बढ़ाते जायें.......

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति, आपके सामने समय कम है इसलिए अगर आप पर जो बीती है उसे आप कहना चाहते हैं तो उसे ही कह डालें।

श्री रामदेव सिंह—जैसी आपकी आज्ञा हो।

हुजूर, मेरे ऊपर जो बीती है मैं जरूर उसे हाउस के सामने रखना चाहता हूं और सदन को बतलाना चाहता हूं कि किस तरह रौंगफुल कंफाइन्मेंट करके हमें जेल में रखा गया। हम पर जो चार्जेज थे वे बेलेबुल थे, मैंने बेल दिया लेकिन फिर भी मैं जेल में रखा गया।

बेल हुआ और बेल के मंजूर करते हुए भी सीवान के एस० डी० ओ० ने मुझे जेल में रखा और कहा कि बेलर के विषय में पुलिस से वेरिफिकेशन करावेंगे तब छोड़ेंगे। बेलर जो थे वे काफी धनीमानी थे। उसके बाद फिर दूसरा बेल पीटिशन दिया गया और उसमें एक एम० एल० ए० और एक वकील दोनों गये लेकिन उसके बाद भी नहीं छोड़ा गया।

श्री प्रभुनाथ सिंह—जिस केस पर ये बहस कर रहे हैं यह सबजुडिस है या नहीं?

अध्यक्ष—उनके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ वह कैसे सबजुडिस हो सकता है। हां मुकदमा सबजुडिस हो सकता है।

श्री प्रभुनाथ सिंह—बेल नहीं दिया गया तो क्या सबजुडिस नहीं है?

अध्यक्ष—बेल से जब छूट गये तब न यहां पर बोल रहे हैं, इसलिए सबजुडिस नहीं है।

श्री रामदेव सिंह—उसके बाद फिर तीसरे दिन मेरी तरफ से जो वकील साहेब थे उन्होंने कहा कि मेरे पास जो पासबुक है उसे भी आप रख लें। एस० डी० ओ० ने कहा कि आपको बेल होने पर भी मैं नहीं छोड़ूंगा।

श्री कृष्णकान्त सिंह—जो ग्राउन्ड्स माननीय सदस्य कह रहे हैं उस पर तो अपील कर सकते थे, प्रोटेस्ट कर सकते थे तो क्या यह सबजुडिस नहीं हुआ?

अध्यक्ष—बेल दिया गया, अगर बेल नहीं दिया गया होता तो यहां कैसे आते?

श्री नवलकिशोर प्रसाद सिंह—किसी मुकदमे के सिलसिले में अगर किसी व्यक्ति ने जमानत के लिए मजिस्ट्रेट के पास दर्खास्त दी और मजिस्ट्रेट ने उस पर जमानत नहीं दिया तो क्या यह सबजुडिस नहीं है?

अध्यक्ष—जमानत तो दिया पर पुलिस के चलते नहीं छूट सके। अगर किसी मजिस्ट्रेट के खिलाफ होता तो सबजुडिस हो सकता था।

श्री नवलकिशोर प्रसाद सिंह—तब तो उनका कहना बिल्कुल अनर्गल है।

श्री रामदेव सिंह—दो महीने तक जेल में रखने के बाद जब पांच छः तारीख को सदन खुलने वाला था तो इसकी खबर जाते-जाते मुझे बेल दे दिया गया। मुझ पर कस्टडी वारन्ट नहीं था, प्रोटेक्शन वारन्ट नहीं था लेकिन मजिस्ट्रेट से कहा गया कि कस्टडी वारन्ट भेजा जाय। कस्टडी वारन्ट भेज दिया गया। उसके कई हफ्ते के बाद एस० डी० ओ० ने कहा कि हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। कस्टडी वारन्ट देकर मुझे १२ तारीख तक डिटेन करके रखा गया। मेरा केस सीवान में चलता था, मैं अंडर-ट्रायल प्रिजनर था। जेल कोड कहता है कि अंडर-ट्रायल प्रिजनर का इन्टरव्यु बन्द नहीं होता है। हंथकड़ी लगा कर और कमर में रस्सी लगा कर सीवान जेल से छपरा जेल में भेजा गया।

(शेम, शेम की आवाज)

सेल में बन्द किया गया। सेल में १॥ महीने तक सब मिला कर मुझे रखा गया, डिवीजन छीन कर मुझे साधारण कैदी बनाया गया, मेरे संबंधियों तथा वकील से मेरा इन्टरव्यु बन्द किया गया। जब सीवान से छपरा जेल में गया तो खर्च नहीं मिला। एस० डी० ओ० ने कहा कि यह तो सीवान कोर्ट का प्रिजनर है इसलिए हम खर्च नहीं देंगे। जब स्टेशन पर आया तो मेरे पास में कुछ पैसे थे उससे टिकट कटा कर सीवान जेल के दरवाजे पर पहुंचा लेकिन जेल के अधिकारी ने मुझे नहीं लिया तो मैं कोर्ट में रखा गया। जो बातें मेरे साथ हुई हैं उन्हें मैं क्या बताऊं, अध्यक्ष महोदय। मेरा रौंगफुल कन्फाइनमेंट हुआ।

अध्यक्ष—आपका समय हो गया।

Shri RAMCHARITRA SINHA : May I be allowed to say one word ? It is with respect to this matter.

SPEAKER : The only relevant point is the treatment meted out to him in jail. That is the only thing.

Shri RAMCHARITRA SINHA : I would like to point out to the Chair.

SPEAKER : I am finishing financial business.

Shri RAMCHARITRA SINHA : I have a right to point out.

SPEAKER : You have right to point out but at the right time.

Shri **RAMCHARITRA SINHA :** I am only suggesting to the Chair that the Chair should examine all these things that have just been stated by the member. If a member of this House is treated like that the Chair should examine whether the Chair can take any action.

SPEAKER : I think it is my duty to examine it. I hope my Secretary will help me in examining this question.

श्री अम्बिका शरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो-तीन बातों का जवाब

आपके द्वारा सदन को दे देना चाहता हूं जो विरोधी दल के लोगों ने रखा है। श्री रामानन्द तिवारी का व्याख्यान मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और विरोधी दल के दूसरे सदस्यों ने भी जो कहा है उनको भी बड़े गौर से सुना। एक बात लोगों के भाषण में ऐसी मालूम हुई कि अभी इस सूखे के मामले में जो काम सरकार करना चाहती है उसमें विरोधी पक्ष का समर्थन या विरोधी पक्ष का सहयोग सरकार नहीं प्राप्त करना चाहती है। मैं इस बात के सम्बन्ध में जो सरकार का दृष्टिकोण है उसका स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं। तिवारी जी ने कहा है कि जब मैं उनके यहां गया तो उनको सूचना नहीं दी, यह बात ठीक है। मैं चाहता था कि तिवारी जी को खबर करूं, यहां पर भी खोजा लेकिन दुर्भाग्यवश वे मुझे नहीं मिले। समयाभाव के कारण मैं उनके घर पर खबर नहीं दे सका। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि हमलोग जहां कहीं भी जाते हैं, हमलोगों की यह कोशिश बराबर रहती है कि विरोधी पक्ष के लोगों से जहां तक हो सके सहयोग प्राप्त करें। मेरा तो दावा है कि मुझ से विरोधी पक्ष के लोगों ने जो कुछ कहा है यथासंभव मैं उसे काम में लाया हूं। मैं इनकी पार्टी के लोग श्री बिन्दविहारी सिंह के साथ दिन-दिन भर निलहर इलाके में दौरा किया हूं। मैं एक उदाहरण इसलिये दे रहा हूं कि तिवारी जी से तो मेरी खास दोस्ती है, जिनसे एक दिन के लिये भी मुलाकात होती है तो मैं उनकी बात भी बहुत अच्छी तरह से सुनता हूं। बागे साहेब ने यह बात कही है कि जब मंत्री महोदय हमारे इलाके में जाते हैं तो हमें भी खबर नहीं करते हैं। मैं कहता हूं कि मुझे झारखंड पार्टी के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई और मैंने उनकी बातों को सुन कर वहां के अफसरों को चेतावनी दी।

Shri **RAMCHARITRA SINHA :** Leader of the Opposition has certain position in the House. Did you inform him ?

Shri **AMBIKA SHARAN SINGH :** I was not expected to inform him. Deputy Minister who visited his district must have informed him. If he has not informed him, the mistake is there.

इसके बाद जिले की जनता पार्टी के जो सदस्य हैं उनको भी हमने खबर दी और दूसरे मंत्रियों ने भी ऐसा ही किया है। हमलोगों की यह नीयत कदापि नहीं रहती है कि विरोधी पक्ष के लोगों का अनादर करें। मैंने तिवारी जी को जो खबर नहीं दी उसका कारण समयाभाव था। इसलिये आप अब इस बात का विश्वास करें कि आगे जो काम होगा उसमें इस बात की कोशिश की जायगी, जहां तक हो सकेगा विरोधी पक्ष से सहयोग लेंगे।

दूसरी बात यह है कि तिवारी जी की धर्मपत्नी की एक्सरे की रिपोर्ट ४ तारीख से २१ तारीख तक नहीं मिली। यह तो पूरे सदन के लिये अपमान की बात है। माननीय सदस्य ने जिस बात का उल्लेख किया है उसकी जांच हमलोग करा रहे हैं और जांच होने के बाद माननीय सदस्य को इसकी सूचना दी जायगी।

मैं इतना ही आप से अर्ज करूंगा कि कोशिश हमारी इस बात की होगी कि आपका सहयोग सूखे के कारण उत्पन्न संकट को दूर करने के लिये मिले और यह नीति न हो कि हम एक दूसरे का दोष देखें। अगर मिलकर इस संकट का सामना करेंगे तब यह संकट अवश्य दूर होगा। आशा है आपका सहयोग हमलोगों को मिलेगा।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

बिहार ऐंप्रोप्रिएशन (नं० ३) बिल, १९५७ स्वीकृत हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिहार ऐंप्रोप्रिएशन (नं० ३) बिल, १९५७ स्वीकृत हुआ।

सभा शुक्रवार, तिथि २२ नवम्बर, १९५७ को ११ बजे दिन तक स्थगित की गई।

पटना :　　　　　　　　　　　　　　इनायतुर रहमान,
तिथि २१ नवम्बर, १९५७।　　　　　　　सचिव, बिहार विधान-सभा।

बि०स०मु० (एल०ए०) (ए) ३०६—मोनो—८७१+२५-१-३०१९५८—मा०च०मा० यथा अन्य।